बहुजन हिताय! बहुजन सुखाय!

सक्षम भारत

राष्ट्रीय हिन्दी दैनिक | इन्द्रजीत सिंह, मुख्य संवाददाता/सचिव, CNSI-Delhi

दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश से प्रसारित

www.sakshambharat;net, E-mail : saksham.bharat@hotmail.com

Member : CENTRAL NEWSPAPER SOCIETY OF INDIA DELHI

● वर्षः 23 ● अंकः 214 ● नई दिल्ली ● मंगलवार 26 अगस्त 2025 ● प्रभात कालीन ● मूल्यः 3 रूपया ● पृष्ठः 4

रिपब्लिकन मजदूर संगठन के सदस्य बनें

E-mail : rmsdp@hotmail.com

अनागरिक गीता भारती भवन
बी-2/370, सुल्तानपुरी
दिल्ली-86

दिल्ली में वकीलों की हड़ताल : सड़क ब्लॉक कर एलजी के खिलाफ जमकर प्रदर्शन, राउज ऐवन्यू कोर्ट के बाहर रोड बंद

नई दिल्ली । राजधानी दिल्ली में उपराज्यपाल के एक आदेश के खिलाफ वकीलों की हड़ताल जारी है। वकीलों ने साफ चेतावनी दी है कि जब तक आदेश को वापस नहीं लिया जाएगा, तब तक जिला अदालतों में कामकाज ठप रहेगा। दिल्ली में भाजपा मुख्यालय से कुछ दूरी पर वकीलों ने सड़क ब्लॉक करके दिल्ली के एलजी के खिलाफ प्रदर्शन किया। राउज ऐवन्यू कोर्ट के सामने पंडित दीन दयाल उपाध्याय रोड को वकीलों ने बंद कर दिया है। दिल्ली की निचली अदालतों में वकीलों की हड़ताल तीसरे दिन भी जारी है।

दिल्ली सीएम रेखा की सुरक्षा से सीआरपीएफ को वापस बुलाया गया, दिल्ली पुलिस के पास ही रहेगी जिम्मेदारी

नई दिल्ली । केंद्र सरकार ने दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को दी गई जेड श्रेणी की सीआरपीएफ सुरक्षा को वापस ले लिया है। यह सुरक्षा उन्हें कुछ दिन पहले एक हमले के बाद दी गई थी। अब उनकी सुरक्षा का जिम्मा फिर से दिल्ली पुलिस को सौंपा गया है। बीते दिनों रेखा गुप्ता पर 20 अगस्त की सुबह सिविल लाइंस में उनके कैंप कार्यालय में जन सुनवाई कार्यक्रम के दौरान एक व्यक्ति ने हमला किया था। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर जनसुनवाई के दौरान हमला करने का आरोपी राजेश भाई खिमजी भाई सकरिया खूंखार अपराधी है। जांच के दौरान पुलिस को पता चला है कि वर्ष 2017 में आरोपी ने मामूली झगड़े के दौरान एक युवक पर तलवार से जानलेवा हमला कर दिया। इसके बाद उसने पास में मौजूद कपड़े धोने वाली थपकी से उसे मार-मारकर अधमरा कर दिया था। राजेश को 2021 में तड़ीपार कर दिया गया था। उसके खिलाफ राजकोट के भक्ति नगर थाने में मारपीट, हमला करने और शराब तस्करी के पांच मामले दर्ज हैं। शुरुआत में पकड़े जाने पर आरोपी ने पुलिस को बताया था कि उसका रिश्तेदार दिल्ली की जेल में बंद है। उसकी पैरवी के लिए वह मुख्यमंत्री के पास आया था लेकिन छानबीन में उसकी कहानी झूठी निकली। पुलिस रिमांड के दौरान उसने काल भैरव के सपने की बात बताकर कुत्ते के आदेश

पर दिल्ली आने का खुलासा किया। अब लगातार वह पुलिस को नई-नई कहानियां सुना रहा है। एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि कुत्तों को लेकर शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पता चलने पर राजेश ने पुलिस हिरासत में खुशी जाहिर की है। उसका कहना है कि यह उसकी मेहनत का नतीजा है कि कोर्ट को इस तरह का आदेश देना पड़ा है। राजेश का दावा है कि वह राजकोट में 150 से 200 कुत्तों की देखभाल करता है। मामले की जांच कर रहे पुलिस अधिकारी ने बताया कि पूछताछ के दौरान आरोपी ने खुलासा किया है कि उसने अपने परिवार को फंसाने के लिए खुद को जख्मी कर लिया था। बाद में पुलिस को झूठी कॉल कर दी थी। उसके सिर में नौ टांके लगे थे। भक्ति नगर पुलिस ने जब मामले की पड़ताल की थी तो हकीकत का पता चल गया था। मामले की जांच के लिए लगातार पुलिस राजकोट पुलिस के संपर्क में है।

दिल्ली पुलिस कर रही जांच

शुक्रवार को दिल्ली पुलिस की एक टीम राजकोट पहुंची थी। वहां पुलिस ने राजेश दोस्त तहसीन, जिग्नेश और चिराग समेत के पांच लोगों से पूछताछ की। पुलिस आरोपी तहसीन उर्फ बापू को लेकर दिल्ली आ गई। तहसीन राजेश का 15 साल पुराना दोस्त है। तहसीन ने ही जी-पे से राजेश को दिल्ली में 2000 रुपये भेजे थे। इसके अलावा वह पहले भी उसे पैसे भेजता रहा है।

एक और आरोपी गिरफ्तार

दिल्ली पुलिस ने रविवार को मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर हमले के सिलसिले में एक और व्यक्ति को गिरफ्तार किया। अधिकारियों ने बताया कि आरोपी की पहचान मुख्य आरोपी सकरिया राजेशभाई खिमजी के दोस्त तहसीन सैयद के रूप में हुई है।

पीएम मोदी की ग्रेजुएशन डिग्री से जुड़ी जानकारी का नहीं होगा खुलासा, दिल्ली हाई कोर्ट ने रद्द किया सीआईसी का आदेश

नई दिल्ली । प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ग्रेजुएशन डिग्री से संबंधित जानकारी का खुलासा करने के केंद्रीय सूचना आयोग के आदेश को दिल्ली हाई कोर्ट ने रद्द कर दिया. दिल्ली यूनिवर्सिटी ने केंद्रीय सूचना आयोग के आदेश को चुनौती दी थी. छह्ट्ट ने 2016 में दायर एक ऋह्यह्व याचिका के आधार पर दिल्ली यूनिवर्सिटी को पीएम मोदी की ग्रेजुएशन डिग्री से संबंधित जानकारी का खुलासा करने का निर्देश दिया गया था. दिल्ली हाई कोर्ट के जज सचिन दत्ता के आदेश के अनुसार शैक्षणिक रिकॉर्ड और डिग्री का खुलासा करना अनिवार्य नहीं है. पीएम मोदी के एकेडमिक रिकॉर्ड के खुलासे को लेकर यह कानूनी लड़ाई की सालों से चल रही है. सूचना का अधिकार (आरटीआई) के तहत आवेदन दाखिल करने के बाद केंद्रीय सूचना आयोग ने 1978 में बीए की परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले सभी छात्रों के रिकॉर्ड के निरीक्षण की 21 दिसंबर, 2016 को अनुमति दे दी. पीएम मोदी ने भी यह परीक्षा उत्तीर्ण की थी. यूनिवर्सिटी ने तीसरे पक्ष से संबंधित जानकारी साझा न करने के नियमों का हवाला देते हुए इसे अस्वीकार कर दिया. हालांकि मुख्य सूचना आयोग (सीआईसी) ने इस तर्क को स्वीकार नहीं किया और दिसंबर 2016 में डीयू को निरीक्षण की अनुमति देने का आदेश दिया. सीआईसी ने कहा कि किसी भी सार्वजनिक व्यक्ति खासकर प्रधानमंत्री की शैक्षिक योग्यताएं पारदर्शी होनी चाहिए. सीआईसी ने यह भी कहा कि इस जानकारी वाले रजिस्टर को एक सार्वजनिक दस्तावेज माना जाएगा. इसी आदेश के खिलाफ यूनिवर्सिटी ने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, जहां उसका प्रतिनिधित्व भारत के सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता और उनकी कानूनी टीम ने किया. तुषार मेहता ने तर्क दिया कि डेटा जारी करने से एक खतरनाक मिसाल कायम होगी, जिससे सरकारी अधिकारियों के कामकाज में बाधा पैदा हो सकती है. उन्होंने कहा कि कुछ लोग राजनीतिक उद्देश्यों से प्रेरित होकर रिकॉर्ड जारी करने की वकालत कर रहे हैं.

अरविंद केजरीवाल का अमित शाह पर पलटवार, ...क्या ऐसे मंत्री और प्रधानमंत्री को भी अपना पद छोड़ना चाहिए?

नई दिल्ली । प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और मंत्री को आपराधिक मामलों में गिरफ्तार किए जाने के बाद पद से हटाए जाने को लेकर बिल पर.कके संयोजक अरविंद केजरीवाल ने तीखी प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि जो व्यक्ति गंभीर गुनाहों के मुजरिमों को अपनी पार्टी में शामिल करके उनके सारे केस रफा दफा करके उन्हें मंत्री, उपमुख्यमंत्री या मुख्यमंत्री बना देता है, क्या ऐसे मंत्री/प्रधानमंत्री को भी अपना पद छोड़ना चाहिए? ऐसे व्यक्ति को कितने साल की जेल होनी चाहिए? दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अमित शाह के बयान को एक्स पर कोट करते हुए लिखा, अगर किसी पर झूठा केस लगाकर उसे जेल में डाला जाए और बाद में वो दोषमुक्त हो जाए, तो उस पर झूठा केस लगाने वाले मंत्री को कितने साल की जेल होनी चाहिए? अमित शाह ने आम आदमी पार्टी (आप) के संयोजक अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर कहा कि हाईकोर्ट में जब यह केस गया कि केजरीवाल जेल में हैं, तो उन्हें पद से इस्तीफा दे देना चाहिए, तब कोर्ट ने कहा था कि नैतिकता के आधार पर उन्हें पद छोड़ देना चाहिए, लेकिन अभी के कानून में उन्हें पद से हटाने का कोई प्रावधान नहीं है. अरविंद केजरीवाल ने शाह के बयान पर पलटवार करते हुए कहा, राजनीतिक षड्यंत्र के तहत झूठे केस में फंसाकर जब केंद्र ने मुझे जेल भेजा तो मैंने जेल से 160 दिन सरकार चलायी. अरविंद केजरीवाल ने कहा, पिछले सात महीनों में दिल्ली की बीजेपी सरकार ने दिल्ली का ऐसा हाल कर दिया है कि आज दिल्ली वाले उस जेल वाली सरकार को याद कर रहे हैं. कम से कम जेल वाली सरकार के वक्त बिजली नहीं जाती थी, पानी आता था, अस्पतालों और मोहल्ला क्लिनिक में फ्री दवाईयां मिलती थी, फ्री टेस्ट होते थे, एक बारिश में दिल्ली का इतना बुरा हाल नहीं होता था, प्राइवेट स्कूलों को मनमानी और गुंडागर्दी करने की इजाजत नहीं थी.

भारत और फिजी की आकांक्षाएं एक ही नाव पर सवार, दोनों देशों के बीच बातचीत के बाद बोले पीएम मोदी

नई दिल्ली । प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फिजी के प्रधानमंत्री सिटिवेनी लिगामामादा राबुका, हैदराबाद हाउस में भारत और फिजी के बीच हुए समझौतों के आदान-प्रदान के साक्षी बने। प्रधानमंत्री मोदी और उनके फिजी समकक्ष राबुका के बीच वार्ता के बाद भारत और फिजी ने सात समझौतों पर हस्ताक्षर किए। फिजी के प्रधानमंत्री सिटिवेनी लिगामामादा राबुका प्रधानमंत्री मोदी की बुधवार को एक संयुक्त प्रेस वार्ता हुई। इस दौरान पीएम मोदी ने जलवायु परिवर्तन को फिजी के लिए खतरा बताते हुए कहा कि हम आपदा प्रतिक्रिया से निपटने में उसकी मदद करेंगे। पीएम मोदी ने कहा कि भारत और फिजी भले ही महासागरों से बंटे हुए हों, लेकिन हमारी आकांक्षाएं एक ही नाव पर सवार हैं। इस दौरान फिजी के नेता भी उनके साथ थे। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा, 33 वर्षों के बाद, 2014 में, किसी भारतीय प्रधानमंत्री ने फिजी का दौरा किया। मुझे बहुत खुशी और गर्व है कि यह मेरा सौभाग्य था। उस समय, हमने फॉरेन फॉर इंडिया पैसिफिक आइलैंड कोऑपरेशन-FIPIC का गठन किया था। इस पहल ने न केवल भारत-फिजी संबंधों को बल्कि पूरे प्रशांत क्षेत्र के साथ हमारे संबंधों को भी मजबूत किया।

प्रधानमंत्री राबुका की इस यात्रा के साथ, हम अपने संबंधों में एक नया अध्याय जोड़ रहे हैं। भारत और फिजी ने सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फिजी के समकक्ष सितवेनी लिगामामादा राबुका के साथ व्यापक वार्ता के बाद अपने रक्षा संबंधों को विस्तार देने के लिए एक व्यापक कार्य योजना तैयार की। पीएम मोदी ने कहा कि भारत और फिजी भले ही महासागरों की दूरी पर हों, लेकिन हमारी आकांक्षाएं एक ही नाव पर सवार हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने यह भी कहा कि भारत और फिजी एक स्वतंत्र, समावेशी, खुले, सुरक्षित और समृद्ध भारत-प्रशांत का समर्थन करते हैं। राबुका रविवार को तीन दिवसीय यात्रा पर दिल्ली पहुंचे। दक्षिण प्रशांत क्षेत्र के प्रधानमंत्री के रूप में यह उनकी पहली भारत यात्रा है। समुद्री सुरक्षा के क्षेत्र में फ़िजी भारत के लिए एक महत्वपूर्ण राष्ट्र है। प्रशांत क्षेत्र में अपनी रणनीतिक पकड़ बढ़ाने के चीन के अथक प्रयासों की पृष्ठभूमि में, भारत फ़िजी के साथ अपने रक्षा संबंधों को बढ़ाने पर विचार कर रहा है। मोदी और राबुका के बीच वार्ता के बाद, दोनों पक्षों ने विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग को व्यापक बनाने के लिए सात समझौतों पर हस्ताक्षर किए। मोदी ने कहा, हमने रक्षा और सुरक्षा क्षेत्र में आपसी सहयोग को मजबूत करने का फैसला किया है। उन्होंने मीडिया को दिए बयान में कहा कि इसके लिए एक कार्य योजना तैयार की गई है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत फिजी की समुद्री सुरक्षा को मजबूत करने के लिए प्रशिक्षण और उपकरण सहायता प्रदान करेगा। अपने संबोधन में मोदी ने वैश्विक दक्षिण के लिए भारत की प्राथमिकताओं का भी उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि भारत वैश्विक दक्षिण के विकास में सहयात्री है। उन्होंने कहा, -हम एक ऐसी विश्व व्यवस्था के निर्माण में भागीदार हैं, जहां वैश्विक दक्षिण की स्वतंत्रता, विचारों और पहचान का सम्मान किया जाता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि जलवायु परिवर्तन फिजी के लिए खतरा है और नई दिल्ली आपदा प्रतिक्रिया से निपटने में उसकी मदद करेगी।

धनखड़ के अप्रत्याशित इस्तीफ़े पर बढ़ा सियासी पारा, अमित शाह के बयान पर जयराम रमेश का बड़ा दावा

नई दिल्ली । कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने सोमवार को कहा कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा सोमवार को दिए गए बयान के बाद कि विपक्ष को उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के इस्तीफे पर हंगामा नहीं करना चाहिए, इस कहानी में और भी कुछ हो सकता है। कांग्रेस नेता ने धनखड़ की मानदंडों, शिष्टाचार और प्रोटोकॉल का पालन करने और किसानों के कल्याण तथा न्यायिक जवाबदेही के लिए निडर होकर बोलने के लिए प्रशंसा की। एक्स पर एक पोस्ट में, रमेश ने कहा कि आज गृह मंत्री ने और भी कुछ कहने की कोशिश की है। लेकिन उन्होंने केवल रहस्य को और बढ़ा दिया है। इस बात का कोई स्पष्टीकरण नहीं है कि किसानों के हितों की वकालत करने वाले अदम्य और उत्साही धनखड़ एक महीने से भी अधिक समय से पूरी तरह से संपर्क से बाहर क्यों हैं। केंद्रीय गृह मंत्री ने एएनआई को दिए एक साक्षात्कार में कहा कि धनखड़ ने स्वास्थ्य कारणों से इस्तीफा दिया और विपक्ष के इस दावे को खारिज कर दिया कि वह घर में नजरबंद हैं। शाह ने कहा कि धनखड़ साहब का त्यागपत्र अपने आप में स्पष्ट है। उन्होंने अपने इस्तीफे के लिए स्वास्थ्य कारणों का हवाला दिया है। उन्होंने अपने अच्छे कार्यकाल के लिए प्रधानमंत्री, अन्य मंत्रियों और सरकार के सदस्यों के प्रति हार्दिक आभार भी व्यक्त किया है। धनखड़ ने 21 जुलाई को स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए पद छोड़ दिया था, लेकिन कांग्रेस नेता के अनुसार, पूर्व उपराष्ट्रपति के अप्रत्याशित इस्तीफे के पीछे और भी बहुत कुछ है। रमेश ने कहा कि जगदीप धनखड़ ने 21 जुलाई, 2025 की रात को अचानक और अप्रत्याशित रूप से भारत के उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा दे दिया। यह अभूतपूर्व था। एक दिन बाद, प्रधानमंत्री ने केवल उनके अच्छे स्वास्थ्य की कामना की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह पर परोक्ष रूप से हमला करते हुए, कांग्रेस नेता ने लिखा, इस्तीफे का यह पूरा प्रकरण वास्तव में विचित्र है और यह दर्शाता है कि जी2 कैसे काम करता है। इस बीच, शाह ने धनखड़ के इस्तीफ़े को ज्यादा तूल न देने की चेतावनी देते हुए कहा, हमें इस सबका बतंगड़ नहीं बनाना चाहिए। उन्होंने लोगों से धनखड़ की संवैधानिक भूमिका और उनके पद छोड़ने के फ़ैसले का सम्मान करने का आग्रह किया।

समय रैना समेत 5 कॉमेडियंस को सुप्रीम कोर्ट से फटकार, जज ने कहा- अपने यूट्यूब चैनल पर पब्लिकली मांगो माफी

नई दिल्ली ।

स्टैंड-अप कॉमेडियन समय रैना, विपुल गोयल और अन्य को सुप्रीम कोर्ट से कड़ी फटकार मिली है. कोर्ट ने उन्हें दिव्यांगों और दुर्लभ बीमारियों से पीड़ित व्यक्तियों का मजाक उड़ाने वाले असंवेदनशील चुटकुले सुनाने के लिए बिना शर्त माफी मांगने का निर्देश दिया है. कोर्ट ने इन कॉमेडियन से कहा कि वो अपने यूट्यूब चैनल पर पब्लिकली माफी मांगे. कोर्ट ने आरोपियों से ये भी कहा कि आप बताएं कि आप पर कितना जुर्माना लगाया जाए! क्योर एसएमए की ओर से दायर की गई एक याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इन कॉमेडियन को फटकार लगाई. याचिका में आरोप लगाया गया था कि इन कॉमेडियन ने अपने शो में दिव्यांगों और दुर्लभ बीमारियों का मजाक उड़ाया, जिससे लोगों की भावनाएं आहत हुईं.

इस याचिका को इंडियाज गॉट लेटेंट विवाद से जुड़े मामलों के साथ जोड़ दिया गया, जिसमें यूट्यूबर रणवीर अल्लाहबादिया पर आरोप लगाया गया था. कोर्ट में सुनवाई के दौरान, सभी कॉमेडियन, जिनमें समय रैना भी शामिल हैं, व्यक्तिगत रूप से मौजूद थे. अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमणी ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि सभी ने माफी मांग ली है. जस्टिस कांत ने टिप्पणी की, मजाक जीवन का हिस्सा है, और हम अपने ऊपर बने मजाक को स्वीकार कर सकते हैं. लेकिन जब आप दूसरों का मजाक बनाना शुरू करते हैं, तो यह संवेदनशीलता का उल्लंघन है.

बिना शर्त माफी- सुप्रीम कोर्ट ने समय रैना, विपुल गोयल, बलराज परमीत सिंह घई, सोनाली ठक्कर और निशांत जगदीश तंवर को बिना शर्त माफी पब्लिक करने का निर्देश दिया है.

शपथपत्र दाखिल करें - कोर्ट ने उनसे एक शपथपत्र दाखिल करने को कहा है, जिसमें यह बताया जाए कि उन्होंने दुर्लभ बीमारियों और दिव्यांगता के लिए क्या काम किया है.

जुर्माने का सुझाव - सुप्रीम कोर्ट ने उनसे यह भी पूछा है कि उन पर कितना जुर्माना लगाया जाना चाहिए.

अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर भी बहस

सुनवाई के दौरान, अटॉर्नी जनरल ने कहा कि सोशल मीडिया पर पूरी तरह से रोक नहीं लगाई जा सकती. इस पर न्यायमूर्ति कांत ने सरकार से पूछा कि क्या वे सोशल मीडिया सामग्री के लिए कोई नियामक दिशानिर्देश या नीति लाने पर विचार कर रहे हैं. उन्होंने कहा कि ऐसी नीति किसी घटना की प्रतिक्रिया में नहीं, बल्कि भविष्य की चुनौतियों के लिए होनी चाहिए.

न्यायमूर्ति जॉयमाल्य बागची ने कहा कि व्यावसायिक भाषण पर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता उसी तरह लागू नहीं होती, जैसे सामान्य भाषण पर होती है. उन्होंने कहा कि जब आप अपने भाषण का व्यावसायीकरण करते हैं, तो आप किसी समुदाय की भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचा सकते. यह मामला अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की सीमाओं और सामाजिक जिम्मेदारी के बीच संतुलन को लेकर एक महत्वपूर्ण बहस पैदा करता है.

अपने यूट्यूब चैनल पर माफीनामा पोस्ट करें

अदालत ने अपने आदेश में कहा कि हास्य कलाकार अपने यूट्यूब चैनल पर माफीनामा पोस्ट करें और अदालत को बताएंगे कि वे कितना जुर्माना भुगतने को तैयार हैं. सीनियर अधिवक्ता सिंह ने पीठ से कहा कि हास्य कलाकारों पर जुर्माना लगाने के बजाय, उन्हें निशक्तता और दुर्लभ बीमारियों से ग्रसित लोगों के कल्याण के लिए काम करने के लिए कहा जा सकता है.

उन्होंने कहा, उन्हें इस विषय को आगे बढ़ाने के लिए अपने प्रभाव का इस्तेमाल करने दें. यही सबसे अच्छी माफी होगी. सभी कॉमेडियंस इससे सहमत दिखे.

संसद में मोदी-शाह का 'जलवा' ख़त्म हुआ !

अनिल जैन

संसद के मानसून सत्र के आखिरी दिन लोकसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राज्यसभा में गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ विपक्ष ने जोरदार नारेबाजी की। लोकसभा में 'वोट चोर, गद्दी छोड़' और राज्यसभा में 'तड़ीपार गो बैक'' के नारे लगे। हालांकि संसद में इस तरह की नारेबाजी होना कोई नई बात नहीं है, यह पहले भी होती रही है। इस बार खास बात यह रही कि दोनों सदनों में जब यह नारे लग रहे थे, तो वहां मौजूद भाजपा सांसदों ने विपक्ष की नारेबाजी का जरा भी प्रतिकार नहीं किया। पिछले 11 सालों में ऐसा पहली बार हुआ कि जब प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री शाह की मौजूदगी में उनके खिलाफ संसद में नारे लगे और सत्ता पक्ष ने कोई जवाबी नारेबाजी नहीं की। इसी के साथ राज्यसभा में एक खास बात यह देखी गई कि गृह मंत्री शाह ने मंत्रियों, मुख्यमंत्रियों और प्रधानमंत्री को गिरफ्तारी और 30 दिन की हिरासत पर पद से हटाने के लिए लाए गए संविधान संशोधन विधेयक को अगली पंक्ति की अपनी सीट से पेश करने के बजाय चौथी कतार में खड़े होकर वहां से विधेयक पेश किया। यह भी पहली बार हुआ कि विपक्ष की ओर से विधेयक की प्रतियां फाड़ी गईं और उसके कागज के गोले बना कर गृह मंत्री की ओर उछाले गए। कागज के कई गोले उनके बिल्कुल सामने गिरे। इसे लेकर तृणमूल कांग्रेस की महुआ मोइत्रा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लिखा कि अमित शाह ने डर के कारण अपनी सीट से विधेयक पेश करने के बजाय अपनी पार्टी के सांसदों के बीच खड़े होकर पेश किए।

कुछ तो मामला गड़बड़ है उत्तर प्रदेश में

भाजपा के मुख्यमंत्रियों में योगी आदित्यनाथ को सबसे शक्तिशाली मुख्यमंत्री माना जाता है। भाजपा और उसके समर्थक हलकों में योगी की लोकप्रियता भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अगर ज्यादा नहीं है तो उनसे कम भी नहीं है। इसीलिए जब भी मोदी के उत्तराधिकारी को लेकर चर्चा होती है तो उनका नाम भी प्रमुखता से लिया जाता है। लेकिन पिछले कुछ दिनों में ऐसा लग रहा है कि योगी के साथ कुछ ठीक नहीं चल रहा है। सरकार के स्तर पर तो कई चीजें बिगड़ी हुई साफ दिख रही हैं। पिछले दिनों राज्य के वरिष्ठ आईएएस अधिकारी एसपी गोयल को मुख्य सचिव बनाया गया, लेकिन एक हफ्ते के बाद ही वे अचानक लंबी छुट्टी पर चले गए। किसी को कारण नहीं पता है। लेकिन ऐसा लग रहा है कि सरकार के अंदर कुछ ऐसा हुआ है, जिसकी वजह से उन्हें अचानक छुट्टी पर जाना पड़ा। वैसे उनकी नियुक्ति को लेकर भी सवाल उठा था। उधर पुलिस महकमे में पुलिस प्रमुख कार्यवाहक के रूप में ही काम कर रहे हैं। मंत्रियों के बीच भी सब कुछ ठीक नहीं चलने की चर्चा है। दोनों उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक की मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से पहले से ही तनातनी चल रही है तो अब प्रधानमंत्री मोदी के करीबी अधिकारी रहे बिजली मंत्री अरविंद कुमार शर्मा भी उस कतार में शामिल हो गए हैं। यही नहीं, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने भी राज्य की नौकरशाही के तौर-तरीकों को लेकर पिछले दिनों सार्वजनिक रूप से अपनी नाराजगी जताई थी।

कितने घुसपैठियों के नाम कटे?

बिहार में चल रहे मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर के तरीके का व्यापक विरोध हो रहा है। संसद में भी पूरे सत्र भर इस सवाल पर खूब हंगामा हुआ है और उधर राहुल गांधी व तेजस्वी यादव बिहार में इसके खिलाफ वोटर अधिकार यात्रा कर रहे हैं। इस बीच सत्तापक्ष की ओर से आरोप लगाया जा रहा है कि विपक्षी पार्टियां घुसपैठियों के दम पर चुनाव जीतना चाहती हैं इसलिए वे एसआईआर का विरोध कर रही हैं। इससे ऐसा लग रहा है जैसे चुनाव आयोग नागरिकता की पहचान करके विदेशी नागरिकों या घुसपैठियों के नाम मतदाता सूची से काट रहा है। लेकिन क्या सचमुच ऐसा है? असल में चुनाव आयोग ने अभी तक नहीं कहा है कि उसने घुसपैठियों के नाम काटे हैं। आयोग के मुताबिक बिहार में जो 65 लाख नाम काटे गए हैं, उनमें विदेशी नागरिक होने के आधार पर किसी का नाम नहीं कटा है। हालांकि पहले चरण के दौरान यानी मतगणना प्रपत्र भरे जाते समय सूत्रों के हवाले से मीडिया में खबर दी गई थी कि बड़ी संख्या में बांग्लादेशी, रोहिंग्या और नेपाली लोग मतदाता बने हैं। लेकिन अंत में जब मसौदा मतदाता सूची जारी हुई तो इस आधार पर किसी का नाम नहीं काटा गया था। अब दावों और आपत्तियों पर काम चल रहा है और 30 सितंबर या एक अक्टूबर को अंतिम मतदाता सूची जारी होगी। तभी पता चल पाएगा कि चुनाव आयोग ने कितने घुसपैठियों के नाम काटे हैं।

रेखा भी केजरीवाल के नक्श-ए-कदम पर!

दिल्ली में करीब दस साल तक मुख्यमंत्री रहे अरविंद केजरीवाल ने शासन की एक शैली विकसित की थी, जिसकी खासियत यह थी कि सरकार को जमीनी स्तर पर कोई बुनियादी काम नहीं करना होता है, लेकिन काम करते हुए दिखना होता है। छह महीने पहले भाजपा सरकार की मुख्यमंत्री बनी रेखा गुप्ता ने भी केजरीवाल के नक्श-ए-कदम पर चलते हुए पूरी निष्ठा से उनकी ही शासन शैली अपना रखी है। केजरीवाल शैली की दूसरी खास बात यह है कि घोषणाएं करने में जरा भी पीछे नहीं रहना है और मीडिया से लेकर सड़कों तक पर घोषणाओं के प्रचार पर सरकारी खजाने को दोनों हाथों से लुटाना है। रेखा गुप्ता और उनकी सरकार यह काम भी पूरी तन्मयता से कर रही है। पिछले छह महीने में सैकड़ों घोषणाएं हुईं, हर घोषणा के साथ मुख्यमंत्री की तस्वीरों वाले विज्ञापन छपे और विज्ञापन की वजह से अखबारों व टीवी चैनलों ने खबरें छापी और दिखाईं। लेकिन जमीनी स्तर पर कोई काम नहीं हुआ। मिसाल के तौर पर नालों की सफाई की खूब तस्वीरें चमकाई गईं लेकिन बारिश शुरू होने पर पूरी दिल्ली में पहले जैसा ही हाल रहा। बरसात और जलजमाव से जुड़ी घटनाओं में इस साल दिल्ली में 110 लोगों की मौत हुई है। अभी तक महिला सम्मान योजना की राशि मिलना शुरू नहीं हुई है, प्रदूषण नियंत्रण की दिशा में कुछ नहीं हुआ है और झुग्गियों की जगह मकान देने की योजना का प्रचार चल रहा है। केजरीवाल की तरह रेखा गुप्ता के बंगले का विवाद भी हुआ और अब केजरीवाल की तरह रेखा गुप्ता पर भी हमला हो गया है।

कांग्रेस के 'महान सांसद'

मार्क ट्वेन का एक प्रसिद्ध कथन है कि आप चुप रह कर दूसरों को संदेह करने दीजिए कि आप मूर्ख हैं, बजाय इसके कि आप मुंह खोल कर दूसरों के उस संदेह को यकीन में बदल दें। यह कथन जिन नेताओं पर लागू होता है उनमें से एक हैं कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल। अक्सर राहुल गांधी के दाएं-बाएं मंडराने वाले केरल से लोकसभा सदस्य वेणुगोपाल भी अक्सर में कांग्रेस को कभी भी फंसा देते हैं।

ने सदन में राहुल गांधी के साथ आगे की कतार में क्यों बैठते हैं या राहुल उन्हें अपने साथ क्यों बैठाते हैं, यह भी समझ से परे है। बहरहाल गृह मंत्री अमित शाह ने बुधवार को जब नैतिकता और सुशासन का ढोल पीटते हुए मंत्रियों, मुख्यमंत्रियों और प्रधानमंत्री को गिरफ्तारी और 30 दिन की हिरासत पर पद से हटाने के प्रावधान वाले संविधान संशोधन विधेयक पेश किए तो कांग्रेस की ओर वेणुगोपाल ने खड़े होकर कहा कि अमित शाह को नैतिकता की बात नहीं करना चाहिए, क्योंकि वे गुजरात में जब गृह मंत्री थे ।

और एक आपराधिक मामले में गिरफ्तार हुए थे तो उन्होंने गिरफ्तारी से पहले इस्तीफा नहीं दिया था। दरअसल वेणुगोपाल अपने नंबर बढ़वाने के चक्कर में गलत बयानी कर गए और अमित शाह को अपने ऊपर चढ़ाई का मौका दे दिया। वेणुगोपाल का यह कहना तो सही है कि अमित शाह को नैतिकता की बात नहीं करना चाहिए लेकिन यह भी सही है कि अमित शाह ने गिरफ्तारी से पहले इस्तीफा दे दिया था। वेणुगोपाल इससे पहले सदन में विपक्षी ब्लॉक में बैठक व्यवस्था को लेकर भी कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के रिश्तों में खटास पैदा करवाने और राहुल से अखिलेश की दूरी बढ़वाने का कारनामा कर चुके हैं।

(लेखक वरिष्ठ पत्रकार हैं। विचार व्यक्तिगत हैं।)

सम्पादकीय...

संसदीय समिति की छान-बीन

लीजिए, अब क्या मोदी जी-शाह जी विरोधियों से कुर्सी छुड़वाने का कानून भी नहीं बना सकते हैं। और कानून अभी बना ही कहां है। अभी तो सिर्फ विधेयक पेश हुआ है यानी कानून की मुंह दिखाई हुई है और वह भी मानसून सत्र के ऐन आखिर में। विधेयक पेश हुआ और हाथ के हाथ संसदीय समिति को भेज दिया गया। संसदीय समिति की छान-बीन के बाद विधेयक संसद में आएगा, तब चर्चा वगैरह के बाद कहीं जाकर उसे पारित कराने का नंबर आएगा। बल्कि पारित कराने का नंबर तो तब आएगा, जब दो-तिहाई की गिनती होगी। जब नौ मन तेल होने के कोई आसार ही नहीं हैं, फिर राधा के नाचने की बात पर इतनी तकरार क्यों? ऊपर से शोले छाप डॉयलागबाजी भी–बसंती, इन कुत्तों के सामने मत नाचना! कुत्तों का इतनी अपमानजनक भाषा में उल्लेख तो अपने आप में गलत है। देखा नहीं कैसे कुत्तों के मामले में सुप्रीम कोर्ट तक को हाथ के हाथ अपना फैसला बदलना पड़ा है। ये विरोधी तो हैं किस खेत की मूली। खैर! मूल मुद्दे पर लौटें और मुद्दा यह है कि कानून-वानून कुछ नहीं, यह तो महज एक स्वांग है, वोट चोरी के हंगामे से ध्यान बंटाने के लिए। क्या 140 करोड़ भारतीयों की चुनी हुई, मोदी जी की सरकार, पब्लिक का मूड बदलने के लिए, विरोधियों से कुर्सी छुड़वाने का जरा सा स्वांग भी नहीं कर सकती है? यह कोई नहीं भूले कि यह अगस्त का महीना है। अगस्त का महीना यानी ''भारत छोड़ो'' आंदोलन का महीना। इसी महीने में मोदी जी के लाल किले से अपने नागपुरी मात-पिता संगठन को देशभक्ति वगैरह के सर्टिफिकेट देने के बाद से, एक बार फिर इसका शोर मचना शुरू हो गया है कि इन्होंने तो आजादी की लड़ाई में कोई हिस्सा ही नहीं लिया था, नाखून कटाने के बराबर भी नहीं। और ''भारत छोड़ो'', उसके तो वो पूरी तरह से खिलाफ थे। उनके वीर सावरकर, श्यामा प्रसाद मुखर्जी वगैरह अंग्रेजी फौज के लिए नौजवानों की भर्ती करा रहे थे और अंग्रेजी हुकूमत से, ''भारत छोड़ो'' आंदोलनकारियों की बगावत को पूरी तरह से कुचलने की अपीलें कर रहे थे। पर यह सब अगर सही भी मान लिया जाए तब भी, इससे सिर्फ इतना ही तो साबित होता है कि नागपुर परिवार वालों की आजादी की लड़ाई की गाड़ी छूट गयी थी। पर तब तक बेचारा नागपुरी कुनबा था भी तो बच्चा ही। भारत छोड़ो के टैम पर नागपुरी कुनबा कुल सोलह बरस का किशोर ही तो था, नाबालिग। इस उम्र में कौन सब काम सही टैम पर कर पाता है। बेचारे जब तक आजादी की लड़ाई में हिस्सा लेने के लिए स्टेशन पर पहुंचे होंगे, ट्रेन छूट चुकी होगी। अंग्रेज भारत छोड़ने का एलान कर चुके थे। मन मारकर बेचारों को देश के मुसलमानों से ही लड़ना पड़ा। उनसे भी नहीं लड़ते तो लोग क्या कहते, जवानी किसी काम नहीं आयी? फिर वो तो क्रांतिकारी थे, अहिंसा के विरोधी। अंग्रेज तो जा चुके थे, मारते कैसे? जाकर गांधी को मार आए। खैर, किस्सा कोताह ये कि नागपुरी भाइयों की आजादी की लड़ाई की ट्रेन तब छूट गयी, इसका मतलब यह तो नहीं है कि उनकी आजादी की लड़ाई की ट्रेन हमेशा के लिए ही छूट गयी। सुना नहीं है क्या--लाइफ दूसरा चांस जरूर देती है। 2014 से आजादी की लड़ाई में हिस्सेदारी का उनका दूसरा चांस ही तो चल रहा है। देखा नहीं कैसे दूसरे चांस में, पहले चांस वालों की पोलें खुल रही हैं। गांधियों की, नेहरूओं की, सरदार पटेलों की, सब की पोलें। और उसी अनुपात में, दूसरे चांस वालों की वीरगाथाएं निकल रही हैं। सावरकर, वीर तो खैर वह स्वघोषित ही थे, उससे ऊपर उठकर अब महानतम बन रहे हैं। देखा नहीं, कैसे इसी पंद्रह अगस्त को पेट्रोल और गैस मंत्रालय ने जो पोस्टर निकाला, आजादी की लड़ाई के पहले चांस वालों के झूठे प्रचार में आग लगाने वाला था। सावरकर सब से ऊपर, गांधी से भी ऊपर, भगत सिंह से भी ऊपर, सुभाष बोस से भी ऊपर! बेशक, दूसरे चांस में भी अभी गोडसे जी को उनका उचित स्थान नहीं मिल सका है। पर सब होगा, धीरे-धीरे सब होगा। सावरकर और आरएसएस के महिमा गान से शुरुआत हो गयी है। जमीनी सतह पर गोडसे जी का शहादत दिवस और जन्म दिवस मनाए जाने की शुरुआत हो गयी है, अब बस थोड़े से वक्त की ही बात है। और जब दूसरे चांस में सब कुछ हो ही रहा है, तो दूसरा भारत छोड़ो भी क्यों नहीं? पर अंग्रेज तो पहले भारत छोड़ो के बाद ही भारत छोड़कर चले गए। जरा सोचिए कितना हास्यास्पद लगेगा कि दूसरे चांस में ''अंग्रेजो भारत छोड़ो'' का नारा लगाया जाए, पर भारत छोड़ने के लिए कोई अंग्रेज हो ही नहीं। इसीलिए, मोदी जी-शाह जी ने ''छोड़ो'' तो ऑरीजिनल रखा है, पर अंग्रेज और भारत दोनों को हटाकर, नये जमाने के हिसाब से ''विरोधियो, कुर्सी छोड़ो'' कर दिया है। सच पूछिए तो विरोधियो भी अंडरस्टुड है, वर्ना अब असली नारा तो ''कुर्सी छोड़ो'' ही है, जैसे पहले चांस में भी असली नारा तो ''भारत छोड़ो'' ही था। कुछ इतिहासकारों का तो मानना है कि भारत किसे छोड़ना है, इसी की अस्पष्टता की वजह से, नागपुर परिवार और उनके संगी-संगाती, पहले वाले चांस में ''मुसलमानो भारत छोड़ो'' चला रहे थे। उनकी देखा-देखी सरकारों में उनके संगी, लीग वाले ''हिंदुओ पाकिस्तान छोड़ो'' चलाने लगे। नतीजा यह कि अंग्रेजों ने भारत तो छोड़ा, पर हिंदुस्तान और पाकिस्तान में बांटकर छोड़ा। पर उसमें भी नागपुरी परिवार के साथ धोखा हो गया। पाकिस्तान तो लीग को मिल गया, पर हिंदुस्तान की पतंग गांधी-नेहरू-पटेल ले उड़े। बेचारे नागपुरिए तब तो मुंह खोलकर कह भी नहीं पाए कि 1947 वाली आजादी झूठी है। 2014 में ही आकर कह पाए हैं कि सच्ची आजादी तो यह है! खैर, कहते हैं कि पुरानी आदतें आसानी से छूटती नहीं हैं। नागपुरियों की पहले चांस की ''मुसलमानो भारत छोड़ो'' वाली आदत भी कहां छूटी है। तभी तो मोदी जी ने लाल किले से इस बार एक और ललकार की है- ''घुसपैठियो, भारत छोड़ो।'' माल वही है, बस पैकेजिंग का रंग बदल गया है। मुसलमान का नाम बदलकर, घुसपैठिया कर दिया है। पर पहले चांस वाले भी कहां बाज आ रहे हैं। भारत छोड़ो के दिन से उन्होंने भी एक नया ही छोड़ो शुरू कर दिया है--वोट चोर, गद्दी छोड़!

भारत-अमेरिका के 'सम्बन्ध'

आजादी के बाद से ही अमेरिका के साथ हमारे सम्बन्ध उतार-चढ़ाव लेते रहे हैं परन्तु वर्तमान समय में ये सम्बन्ध दरारों में फंसते नजर आ रहे हैं। इसकी मूल वजह बेशक अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प की व्यापारिक व विदेश नीति ही कही जा सकती है जिसके तहत वह लगातार भारत को चेतावनी मुद्रा में रख रहे हैं। मगर ऐसा करते हुए वह शायद भूल रहे हैं कि भारत ने पिछले 76 सालों में जो भी प्रगति की है वह अपनी निर्दिष्ट व्यापार नीति व स्पष्ट विदेश नीति के अन्तर्गत ही की है। भारत की विदेश नीति आपसी सहयोग व शान्ति पर टिकी रही है और व्यापार नीति राष्ट्रीय हितों के समरूप रही है। भारत की आजादी के बाद इसके प्रथम प्रधानमन्त्री पं. जवाहर लाल नेहरू ने मिश्रित अर्थव्यवस्था को ध्येय बनाते हुए सार्वजनिक क्षेत्र में पूंजी परक उद्योगों की नींव डाली। मगर ऐसा करते हुए उन्होंने पहले अमेरिका की पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को नजरंदाज नहीं किया। उन्होंने भारत में स्टील कारखाने शुरू करने से पहले अमेरिका से इसमें सहयोग करने की अपील की परन्तु अमेरिका ने उनके प्रस्ताव को यह कह कर टाल दिया कि स्टील उद्योग पूंजी मूलक उद्योग है और भारत बहुत गरीब देश है। अतः वह बजाये अपने कारखाने लगाने के स्टील अमेरिका से आयात करे। इसके बाद ही नेहरू जी ने सोवियत संघ का रुख किया और भारत के औद्योगीकरण में उसका सहयोग पाया जबकि दूसरी तरफ अमेरिका ने उस दौर में पाकिस्तान का रुख किया और उसे भारी आर्थिक व वित्तीय मदद दी। 1953 में अमेरिका ने पाकिस्तान को भारी मदद देने का ऐलान किया। यह भी हकीकत है कि 1947 से पहले अमेरिका भारत के दो टुकड़े करने के पक्ष में नहीं था और चाहता था कि चीन में कम्युनिस्टों के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए भारत को एकजुट व मजबूत रखा जाये परन्तु ब्रिटिश सरकार के रवैये के चलते भारत को दो टुकड़ों में काट कर पाकिस्तान का निर्माण कर दिया गया। अंग्रेजों का तर्क था कि रूस-चीन के बीच पाकिस्तान को एक ऐसा देश बनाया जा सकता है जो मौका पड़ने पर पश्चिमी देशों व अमेरिका के लिए सहायक देश सिद्ध हो। इसके जरिये पश्चिमी देश मध्य एशिया के मुस्लिम देशों पर भी अपनी पकड़ बनाये रख सकते हैं। यहां यह ध्यान रखना जरूरी है कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद अंग्रेजों का दिल्ली स्थित वायसराय भारत से ही मध्य एशियाई देशों पर अपनी पकड़ बनाये रखता था। यही वजह थी कि इनमें से अधिसंख्य देशों में भारत की मुद्रा रुपये का प्रचलन था जो कि 1959 तक जारी रहा। इस नीति के चलते अमेरिका का पाकिस्तान प्रेम इस हद तक जारी रहा कि इसने 1965 के भारत-पाक युद्ध के दौरान भारत को मिलने वाली खाद्यान्न मदद को भी रोक दिया। पीएल-480 के तहत मिलने वाली भारत को अन्न मदद रोक कर अमेरिका पाकिस्तान की सीधी मदद इसलिए कर रहा था जिससे भारत की विशाल जनसंख्या उसकी ताकत को पहचान सके। इसके बाद ही भारत में हरित क्रान्ति हुई और भारत खाद्यान्न के मामले में आत्मनिर्भर बना लेकिन अमेरिका ने भारत की स्वावलम्बी योजना का हमेशा से ही विरोध किया और 1974 में भारत ने जब पहला परमाणु परीक्षण पोखरन में किया तो अमेरिका ने अपनी विदेशी व्यापार धारा-300 के तहत भारत पर कड़े आर्थिक प्रतिबन्ध लगा दिये और नवीन टैक्नोलॉजी से इसे महरूम कर दिया। इसके बावजूद भारत लगातार तरक्की करता रहा और हालत यहां तक पहुंची कि जब 1991 में भारत में आर्थिक उदारीकरण शुरू हुआ तो अमेरिका ने धारा-300 के विभिन्न उपबन्धों को समाप्त कर दिया। इसके बाद 1998 में जब भारत ने पोखरन में दूसरा परमाणु परीक्षण किया तो फिर से नये आर्थिक प्रतिबन्ध लगा दिये गये। ये प्रतिबन्ध 2008 में तब जाकर उठे जब भारत ने अमेरिका के साथ परमाणु समझौता किया। अतः बहुत स्पष्ट है कि भारत अपनी शर्तों पर ही तरक्की करते हुए आज दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर अग्रसर है। जहां तक अमेरिका का सवाल है तो आज अमेरिका भारत से लगभग डेढ़ सौ अरब डालर का आयात करता है और करीब एक सौ अरब डालर का निर्यात करता है। हमने यह तरक्की पं. नेहरू के कार्यकाल से लेकर प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी तक की है परन्तु आज डोनाल्ड ट्रम्प कह रहे हैं कि भारत और रूस के बीच बहुत करीबी सम्बन्ध हैं जिनके तहत भारत रूस से कच्चा पैट्रोलियम तेल सस्ती दरों पर आयात करता है और फिर उसे अन्य देशों को निर्यात कर मुनाफा कमाता है। इस बारे में विदेश मन्त्री एस. जयशंकर ने साफ कर दिया है कि भारत से तेल खरीदने के लिए कोई देश बाध्य नहीं है। विश्व में तेल व गैस के भावों को स्थिर रखने की गरज से ही भारत ऐसा कर रहा है। यह उसकी व्यापार नीति है। मगर ट्रम्प भारत पर दबाव बनाने की गरज से उसके साथ होने वाली व्यापार वार्ता को बीच में ही लटकाये रखना चाहते हैं। इसके लिए उन्होंने भारत से आयातित माल पर सीमा शुल्क 50 प्रतिशत कर दिया है। यह इकतरफा दंडात्मक कार्रवाई भारत कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता। इसी वजह से उसने 25 अगस्त से अमेरिका को भेजे जाने वाले हवाई पार्सलों पर अस्थायी रोक लगा दी है। हालांकि चिट्ठी- पत्री जारी रहेंगी और 100 डालर तक की कीमत वाले उपहार पार्सलों आदि पर भी रोक नहीं रहेगी। भारत यह कैसे बर्दाश्त कर सकता है कि कोई तीसरा देश उसे इस वजह से दंडित करे कि उसने किसी तीसरे देश के साथ व्यापार किया है। भारत कोई सामान्य देश नहीं है। यहां दुनिया की सबसे बड़ी आबादी बसती है और इसका लोकतन्त्र दुनिया का सबसे बड़ा लोकतन्त्र है जो कि पूरे विश्व में एक उदार ताकत माना जाता है। अमेरिका को भारत की इस ताकत को पहचानना होगा। ट्रम्प इकतरफा गाड़ी किसी कीमत पर नहीं चला सकते हैं।

यह दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है?

यह सवाल प्रख्यात उर्दू शायर साहिर लुधियानवी ने लगभग आधी सदी पहले अपनी एक नज़्म के माध्यम से उठाया था। वही सवाल आज पांच दशक बाद भी पूरी तरह प्रासंगिक है। इस बार विभाजन-विभीषिका को लेकर देशभर में पुरानी बातें फिर से याद की गईं। बचे-खुचे चंद लोग शेष बचे हैं जिन्हें वे किस्से- कहानियां अब भी याद हैं, मगर अब सारी यादें, सभी किस्से-कहानियां, 'इवेंट मैनेजमेंट' के खाते में सरकती जा रही हैं। अब 'विभाजन-विभीषिका' को 'फेस्टिवल' की शक्ल में मनाया गया। सम्मान समारोह, प्रदर्शनियां, किस्से-कहानियां, सब का सचित्र बयान जारी रहा। इधर, कुछ सनकी, समर्पित लोग अब भी विभाजन-पीड़ितों का दुख-दर्द, 'वीडियोज़' और यू-ट्यूब आदि के माध्यम से बांटने की मशक्कत में लगे हैं। ऐसे ही लोगों में दो की चर्चा प्रासंगिक होगी। इन्हें इस बात का भी कोई मलाल नहीं कि उनके प्रयासों से उनका अपना खर्च भी नहीं निकल पाता, मगर जब कोई पत्रकार खुले मन से उन्हें चर्चा के केंद्र में ले आता है तो उन्हें थोड़ा सुखद एहसास होने लगता है कि 'उनके' काम को किसी ने सराहा तो सही। वे जो भी करते हैं किसी आर्थिक लाभ के लिए नहीं। उन्हें यह भी मालूम है कि उन्हें इस काम के लिए कोई राजकीय सम्मान भी नहीं मिल पाएगा। मगर वे हारते नहीं हैं। इनमें से दो की चर्चा इस मामले में प्रासंगिक है हालांकि जैसे प्रयास वे कर रहे हैं, ऐसे सरहद के उस पार भी कुछ समर्पित यू-ट्यूबर्स भी कर रहे हैं। फिलहाल इन पर ही एक सीमित सी चर्चा। इनमें से एक है सौदागर सिंह चुन्नी कलां और दूसरे हैं कुरुक्षेत्र के केशु मुल्तानी। सौदागर सिंह ने 16 वर्ष तक मोहाली के केंद्रीय सरकारी संस्थान सेमीकंडक्टर में तकनीशियन की नौकरी भी की थी। जब इस इकाई में आग लगी तो नौकरी खतरे में आ गई। तब उन्होंने स्वेच्छा से रिटायरमेंट ले ली और 'मनरेगा' के तहत काम करने लगे। अब वह पूरा वक्त अपने इंटरनेट-सैट पर ही लगे रहते हैं। उन्हें उस दिन चैन की नींद आती है जिस दिन वे बिछुड़े लोगों या परिवारों को आपस में मिला देते हैं। उनकी अपनी आंखें अक्सर नम रहती हैं। दूसरे शख्स हैं केशु-मुल्तानी। अब तक सैकड़ों परिवारों को मिला चुके हैं। 'वीडियो को रिकॉर्ड करने का सिलसिला तो 2006 में शुरू हो गया था और सबसे पहले रिकार्ड किए गए थे हांसी के विधायक विनोद भयाना के पिता जी महेश भयाना जी, उसके बाद मेरे मामा भी जिनका सरहद पार दोस्त मिल गया था और उसके बाद हमारे हरियाणा प्रदेश के प्रथम रंजन राजबाड़ी 2007 में रिकार्ड किया गया, उसके बाद यह सिलसिला कुछ वर्षों तक कछुए की चाल चलता रहा और इसमें गति पकड़ी 2016 के आखिरी महीने में जिसका सफर अब तक जारी है।' इस सफर में केशव को सिर्फ मुल्तान के लोग ही नहीं मिले, पेशावरी मिले, लाहौरी मिले, सिख मिले और राजपूत मिले और तो और मुझे 'इकोत' भी मिले, जिन्हें शनिदेव महाराज जी के नाम से जाना जाता है। जो घर-घर जाकर तेल मांगते थे, यहां भी और वहां भी। अब मेरे द्वारा वीडियो रिकॉर्ड की संख्या तो हजार से भी ज्यादा है।' और 47 के दंगों में जो परिवार या कोई समुदाय बिछुड़ गए थे तो तकरीबन 300 से ज्यादा केशु मिलवा चुका है। इसी तरह कुछ और 'यू-ट्यूबर्स' भी इसी तरह का काम पाकिस्तान में कर रहे हैं जिनमें मोहम्मद आलमगीर नाम का शख्स और सय्याम चौहान प्रमुख हैं।

नि:संदेह गुमनामी बाबा ही थे नेताजी सुभाष चंद्र बोस

पर्दे के भीतर जा कर उन्हें केवल फैजाबाद का डॉ. बनर्जी व मिश्रा जी का परिवार ही देख सकता था। उनकी दबंग आवाज, बंगाली उच्चारण में हिंदी और फर्राटेदार अंग्रेजी सुन कर पर्दे के सामने बैठा हर व्यक्ति प्रभावित हुए बिना नहीं रहता था। फिर भी सबको यह हिदायत थी कि उनके सामने 'सुभाष' नाम नहीं लिया जाएगा। सब उन्हें 'भगवन जी' कह कर ही बुलाते थे। जिस व्यक्ति की मृत्यु पर 13 लाख लोग जमा होने चाहिए थे, उनके अंतिम संस्कार में मात्र यही 13 लोग थे। उनका अंतिम संस्कार सरयू नदी के किनारे अयोध्या के 'गुप्तार घाट' पर किया गया, जहां उनकी समाधि है। गुप्तार घाट वही स्थल है, जहां भगवान श्रीराम, लक्ष्मण, भरत व शत्रुघ्न ने जल समाधि ली थी। हजारों साल में उस पवित्र स्थल पर आज तक केवल गुमनामी बाबा का ही अंतिम संस्कार हुआ है। सारा जिला प्रशासन और पुलिस दूर खड़े उनका अंतिम संस्कार देखते रहे। इतना कुछ प्रमाण उपलब्ध है फिर भी आज तक केंद्र की कोई सरकार गुमनामी बाबा की सही पहचान को सार्वजनिक रूप से स्वीकारने को तैयार नहीं है। मोदी सरकार तक भी नहीं। जबकि मोदी जी ने इंडिया गेट के सामने की छतरी में नेताजी सुभाष चंद बोस की खड़ी प्रतिमा स्थापित करने का पुण्य कार्य किया है।

बचपन से हमें पढ़ाया गया की हवाई दुर्घटना में 18 अगस्त 1945 को ताइपे (ताइवान) में नेताजी सुभाष चंद बोस की हवाई दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी। पर उनकी मौत के विवाद को सुलझाने के लिए बने 'मुखर्जी आयोग' ने ताइपे (ताइवान) जाकर उनकी सरकार से संपर्क किया तो पता चला कि उस तारीख को ही नहीं बल्कि उस पूरे महीने ही वहां कोई विमान दुर्घटनाग्रस्त नहीं हुआ था। यानी नेताजी की विमान दुर्घटना में मौत नहीं हुई थी। ये झूठी कहानी गढ़ी गई। तो प्रश्न उठता है कि फिर नेताजी गए कहां? इस पर बाद में चर्चा करेंगे। बाद के कई दशकों तक देश में चर्चा चलती रही कि नेताजी अचानक प्रकट होंगे। बाबा जयगुरुदेव ने देश भर की दीवारों पर बड़ा-बड़ा लिखवाया कि नेता जी सुभाष चंद बोस जल्दी ही देश के सामने प्रकट होंगे। पर वे नहीं हुए। मेरी मां बहुत राष्ट्रभक्त थीं और बड़े राजनैतिक परिवारों के बच्चे उनके साथ पढ़ते थे, सो उनकी शुरू से राजनीति में रुचि थी। उन्होंने मुझे 1967 में कहा था कि 'नेता जी अभी जिंदा हैं और गुमनाम रूप से कहीं संत भेष में पूर्वी उत्तर प्रदेश में रहते हैं।' पर्दे वाले बाबा नाम से एक संत पचास के दशक में नेपाल के रास्ते भारत आए और गोपनीय रूप से बस्ती, लखनऊ, नैमिषारण्य, फैजाबाद व अयोध्या के मंदिरों या घरों में रहे। इस दौरान उनसे मिलने बहुत से लोग आते थे। पर सबको हिदायत थी कि उनके सामने कोई सुभाष नाम नहीं लेगा। इनमें 13 लोग जो वहीं के थे, जो उनके अंतरंग थे। उनमें से दो परिवारों ने तो उन्हें पर्दे के पीछे जाकर भी देखा था। बाकी अनेक लोग बंगाल से लगातार उनसे मिलने आते थे। उनमें दो लोग नेता जी की 'इंडियन नेशनल आर्मी' की 'इंटेलिजेंस विंग' के सदस्य थे। ये लोग हर 23 जनवरी को आते थे और बड़े हर्षोल्लास से पर्दे वाले बाबा का जन्मदिन मना कर लौट जाते थे। गौरतलब है कि 23 जनवरी ही नेताजी का जन्मदिन होता है। जिसे मोदी जी ने 'शौर्य दिवस' घोषित किया है। यही लोग हर वर्ष दोबारा दुर्गा पूजा के समय उनके पास आते थे। इसके अलावा बाबा की जरूरत के हिसाब से बीच-बीच में भी लोग आते जाते रहते थे। देश के कई बड़े नामी राजनेता व बड़े सैन्य अधिकारी भी लगातार उनसे मिलने आते थे। पर सब उनसे पर्दे के सामने से ही बात करते और सलाह लेते थे। पत्रकार अनुज धर और पर्यावरणवादी चंद्रचूड़ घोष, इन दो लोगों ने अपनी जवानी के बीस वर्ष इसे सिद्ध करने में लगा दिए कि 'पर्दे वाले बाबा' जिन्हें बाद में लोग 'गुमनामी बाबा' कहने लगे, जिन्हें उनके निकट के लोग 'भगवन जी' कहते थे, वही नेताजी सुभाष चंद बोस थे। पिछले हफ्ते ये दोनों मेरे दिल्ली कार्यालय आए और विस्तार से मुझे इस विषय में जानकारी दी। उन्होंने अपनी लिखी हिंदी व अंग्रेजी की कई पुस्तकें भी दीं। जिनमें वो सारे तथ्य, दस्तावेज़ और उन सामानों के चित्र थे जो 'गुमनामी बाबा' के कमरे से 16 सितंबर 1985 को उनकी मृत्यु के बाद, उनके दो दर्जन से ज्यादा बक्सों में से निकले थे। ये सब सामान देखकर कोलकाता से बुलाई गयीं नेताजी की भतीजी ललिता बोस रोने लगीं और बेहोश हो गईं। क्योंकि उसमें नेता जी और ललिता जी के माता-पिता के बीच हुए पत्राचार के हस्त लिखित प्रमाण भी थे। उनके परिवार के तमाम फोटो थे। जिनमें नेताजी के माता पिता का फ्रेम किया फोटो भी है। तब ललिता बोस ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर के इन सामानों को सरकार की ट्रेज़री में जमा करवाने की मांग की। अदालत ने भी ये माना कि 'गुमनामी बाबा' के ये सब सामान राष्ट्रीय महत्व के हैं। तब फैजाबाद के जिलाधिकारी ने उन 2760 सामानों की सूची बनवाकर ट्रेज़री में जमा करवा दिया। बरसों बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव ने इन सामानों को 'राम कथा संग्रहालय' अयोध्या में जन प्रदर्शन के लिए रखवा दिया। पता नहीं क्यों अब 'श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट' उन्हें वहां से हटाने की प्रक्रिया चला रहा है? इन सामानों में गुमनामी बाबा (नेताजी) के तीन चश्मे, जापानी क्रॉकरी, बहुत महंगी जर्मन दूरबीन, ब्रिटिश टाइपराइटर, आईएनए की वर्दी जो नेता जी के साइज़ की है। लगभग एक हज़ार पुस्तकें जो राजनीति, साहित्य, इतिहास, युद्ध नीति, होम्योपैथी, धार्मिक विषयों आदि पर हैं व मुख्यतः अंग्रेज़ी में हैं।

तीन विदेशी सिगार पाइप, पांच बोरों में देश-विदेश के अखबारों में नेताजी सुभाष चंद बोस के बारे में छपी खबरों की कतरनें, आईएनए के वरिष्ठ अधिकारियों से उनका नियमित पत्राचार व आरएसएस प्रमुख श्री गुरु गोलवलकर का गुमनामी बाबा के नाम लिखा एक पत्र भी मिला है। इसके अलावा एक बड़े गत्ते पर गुमनामी बाबा के रूस से चीन, तिब्बत और नेपाल के रास्ते बस्ती (उ.प्र.) आने के मार्ग का हाथ से बना विस्तृत नक्शा भी है। अनुज धर और चंद्रचूड़ घोष के शोध से पता चलता है कि नेता जी विमान दुर्घटना की झूठी कहानी के आवरण में रूस पहुंच गए। जहां रूस की सरकार ने उन्हें गुलाग में एक बंगला, दो अंगरक्षक, एक कार और ड्राइवर की सुविधा के साथ महफूज़ रखा। तीन साल गुमनाम रूप से रूस में रहने के बाद वे चीन, तिब्बत और नेपाल के रास्ते एक संत के वेष में भारत आए और 16 सितंबर 1985 को अपनी मृत्यु तक पर्दे के पीछे ही छिप कर रहे। पर्दे के भीतर जा कर उन्हें केवल फैजाबाद का डॉ. बनर्जी व मिश्रा जी का परिवार ही देख सकता था। उनकी दबंग आवाज, बंगाली उच्चारण में हिंदी और फर्राटेदार अंग्रेजी सुन कर पर्दे के सामने बैठा हर व्यक्ति प्रभावित हुए बिना नहीं रहता था। फिर भी सबको यह हिदायत थी कि उनके सामने 'सुभाष' नाम नहीं लिया जाएगा। सब उन्हें 'भगवन जी' कह कर ही बुलाते थे। जिस व्यक्ति की मृत्यु पर 13 लाख लोग जमा होने चाहिए थे, उनके अंतिम संस्कार में मात्र यही 13 लोग थे। उनका अंतिम संस्कार सरयू नदी के किनारे अयोध्या के 'गुप्तार घाट' पर किया गया, जहां उनकी समाधि है। गुप्तार घाट वही स्थल है, जहां भगवान श्रीराम, लक्ष्मण, भरत व शत्रुघ्न ने जल समाधि ली थी। हजारों साल में उस पवित्र स्थल पर आज तक केवल गुमनामी बाबा का ही अंतिम संस्कार हुआ है। सारा जिला प्रशासन और पुलिस दूर खड़े उनका अंतिम संस्कार देखते रहे। इतना कुछ प्रमाण उपलब्ध है फिर भी आज तक केंद्र की कोई सरकार गुमनामी बाबा की सही पहचान को सार्वजनिक रूप से स्वीकारने को तैयार नहीं है। मोदी सरकार तक भी नहीं। जबकि मोदी जी ने इंडिया गेट के सामने की छतरी में नेताजी सुभाष चंद बोस की खड़ी प्रतिमा स्थापित करने का पुण्य कार्य किया है। आरएसएस के दिवंगत सर संघ चालक के.एस. सुदर्शन जी का एक सार्वजनिक वीडियो वक्तव्य है, जो यूट्यूब पर भी उपलब्ध है, जिसमें उन्होंने साफ़ कहा है कि गुमनामी बाबा ही नेता जी सुभाष चंद बोस थे। अनुज धर और चंद्रचूड़ घोष बताते हैं कि पंडित नेहरू से लेकर मोदी जी तक हर प्रधानमंत्री को इसकी जानकारी है और नेताजी से 1945 तक जुड़े रहे उनके सहयोगी नेता उनसे मिलने जाते रहे। पर साधना में लीन गुमनामी बाबा ये नहीं चाहते थे कि कोई उनकी असलियत जाने।

स्वामी, प्रकाशक, मुद्रक विजय कुमार शास्त्री ने कन्हा ऑफसेट प्रिंटर्स, ए-9, साथ पीपलथला एक्स. दिल्ली-33, से मुद्रित कर कार्यालय, बी-2/370, सुल्तानपुरी, दिल्ली-86 से प्रकाशित किया सम्पादक : विजय कुमार शास्त्री, मो : 09582093548 समाचार पत्र में प्रकाशित सामग्री से संपादक का सहमत होना आवश्यक नहीं विवादास्पद केवल दिल्ली कोर्ट में होंगे। (DELHIN/2001/09882)

गायों में लंपी रोग का बढ़ता खतरा, पशुपालकों की आय पर गहरा असर

लार, देवरिया।

भारतीय ग्रामीण अर्थव्यवस्था की रीढ़ मानी जाने वाली गाय आज एक खतरनाक बीमारी से जूझ रही है। दूध, गोबर और गोमूत्र से घर की आजीविका चलाने वाले पशुपालक लंपी स्किन डिज़ीज़ की मार झेल रहे हैं। देवरिया समेत उत्तर भारत के कई जिलों में इस रोग ने दूध उत्पादन को बुरी तरह प्रभावित किया है, जिससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था चरमरा गई है। लंपी रोग एक वायरल संक्रमण है, जो कैपरी पाक्स नामक विषाणु से होता है। यह बीमारी मच्छर, मक्खी, जूँ, किलनी जैसे खून चूसने वाले कीटों के जरिए तेजी से फैलती है। संक्रमित पशु के घाव से निकला द्रव जब दूसरे पशु के संपर्क में आता है तो संक्रमण और विकराल हो जाता है। दूषित पानी, चारा और बाड़े की अस्वच्छता इसके प्रसार में बड़ी भूमिका निभाते हैं। संक्रमित गाय को अचानक तेज बुखार आता है, वह चारा-पानी कम कर देती है और दूध

उत्पादन तुरंत घट जाता है। आंख-नाक से पस जैसा द्रव निकलना, शरीर पर कठोर गांठें और मवाद भरे घाव बनना इसके प्रमुख लक्षण हैं। कई बार गर्भवती गायों का गर्भपात हो जाता है। बीमारी लंबे समय तक रहने से पशु कमजोर हो जाता है और मौत की आशंका भी बढ़ जाती है। लार के पशु चिकित्सक डॉ. अमित कुमार सिंह का कहना है कि लंपी रोग का कोई विशेष इलाज उपलब्ध नहीं है। समय पर टीकाकरण और बाड़े की स्वच्छता ही इसका सबसे बड़ा बचाव है। संक्रमित पशु को तुरंत स्वस्थ पशुओं से अलग करना चाहिए। साथ ही कीटों के नाश के लिए बाड़े में दवा का छिड़काव जरूरी है।

उन्होंने बताया कि संक्रमित पशुओं को ज्वरनाशक दवाएँ, एंटीसेप्टिक घाव उपचार और पौष्टिक आहार दिया जाना चाहिए। इसके साथ ही घरेलू उपचार भी सहायक हो सकते हैं। हल्दी और सरसों का तेल, नीम का काढ़ा, गिलोय का रस, एलोवेरा जेल और तुलसी का रस पशु की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में कारगर साबित होते हैं। लंपी रोग से मृत्युदर भले ही अधिक न हो, लेकिन दूध उत्पादन और पशु की ताकत कम हो जाने से किसानों को भारी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है। पशुपालकों का कहना है कि अगर सरकार समय पर टीकाकरण और रोकथाम पर ध्यान न दे तो पशुपालन का भविष्य खतरे में पड़ सकता है।

माउण्ट लिट्रा जी स्कूल में सुरक्षा एवं अनुशासन व्यवस्था का सशक्त तंत्र

जौनपुर। माउंट लिट्रा जी स्कूल सदैव अपने विद्यार्थियों की सुरक्षा, भावनात्मक स्वास्थ्य और समग्र विकास को सर्वोपरि मानता है। विद्यालय ने सुरक्षा और अनुशासन के लिये एक मजबूत प्रणाली विकसित की है जिसमें आधुनिक तकनीक और सतर्क निगरानी का विशेष ध्यान रखा गया है। विद्यालय परिसर के प्रत्येक क्षेत्र में सीसीटीवी कैमरे लगाये गये हैं जिनकी नियमित मॉनिटरिंग की जाती है। प्रवेश द्वार पर प्रतिदिन मेटल डिटेक्टर से जांच, बैग चेकिंग और सरप्राइज़ बस चेकिंग सुनिश्चित की जाती है। साथ ही प्रत्येक आगंतुक और विद्यार्थी का रिकॉर्ड एंट्री गेट पर दर्ज किया जाता है। छात्रों की भावनात्मक व सामाजिक सुरक्षा के लिये नियमित रूप से अवेयरनेस सेशन्स आयोजित किये जाते हैं जिनमें हिंसा, नशे से बचाव, बुलिंग, कानूनी जागरूकता, अभिभावकों की भूमिका जैसे विषयों पर चर्चा होती है। आवश्यकतानुसार छात्रों व अभिभावकों को काउंसलिंग भी दी जाती है। विद्यालय का छात्र परिषद एवं प्रीफेक्ट सिस्टम सक्रिय रूप से कार्य करता है। प्रत्येक अवधि में फ्लोर इंचार्ज की ड्यूटी, नियमित कोऑर्डिनेटर एवं प्रिंसिपल राउंड्स, और वॉशरूम के पास सपोर्ट स्टाफ की सतत उपस्थिति अनुशासन और सुरक्षा को और मजबूत बनाती है। हर सुबह सभा में डेली अफ़र्मेशन और मूल्यों पर चर्चा के माध्यम से विद्यार्थियों को जीवन के उच्च आदर्शों से जोड़ा जाता है। किसी भी अनुशासनहीनता की स्थिति में विद्यालय तुरंत कार्रवाई करता है। इस उत्कृष्ट व्यवस्था के पीछे प्रिंसिपल श्वेता मिश्रा का नेतृत्व तथा डायरेक्टर्स अरविंद सिंह एवं विख्यात सिंह का सतत मार्गदर्शन अत्यंत महत्वपूर्ण रहा है। साथ ही विद्यालय के संरक्षक रमेश सिंह एवं दिनेश सिंह का सहयोग विद्यार्थियों और स्टाफ सदस्यों के लिए प्रेरणा का स्रोत है जो सदैव मार्गदर्शन और संरक्षण प्रदान करते हैं। माउंट लिट्रा जी स्कूल अपने विद्यार्थियों की सुरक्षा, मानसिक व शारीरिक विकास और उज्ज्वल भविष्य के लिए प्रतिबद्ध है।

राशन कार्ड का ई–केवाईसी 31 अगस्त तक सुनिश्चित हो : जिलापूर्ति अधिकारी

जौनपुर। जिलापूर्ति अधिकारी ने बताया कि शासन के पत्र के क्रम में आयुक्त खाद्य तथा रसद विभाग उत्तर प्रदेश लखनऊ के कार्यालय द्वारा ऐसे राशन कार्ड लाभार्थी, जिनके द्वारा अभी तक ई0के0वाई0सी0 नहीं करायी गयी है तथा उनके द्वारा 31 अगस्त तक ई0के0वाई0सी0 नहीं करायी जाती है तो उनके राशन कार्ड/यूनिट के सम्बन्ध में निम्नवत् निर्देश दिये गये हैं। ऐसे सभी राशन कार्ड लाभार्थियों (0 से 5 वर्ष के बच्चों को छोड़कर), जिनकी ई-के0वाई0सी0 कराये जाने का कार्य अवशेष है। उनके सापेक्ष खाद्यान्न वितरण के समय खाद्यान्न अग्रिम 3 माह के लिए निलम्बित करते हुये उक्त 3 माह के अन्तर्गत ई0के0वाई0सी0 कराये जाने के निर्देश दिये गये हैं, अन्यथा की दशा में उनकी यूनिट उनके राशन कार्ड से निरस्त कर दी जायेगी। जिन राशन कार्ड लाभार्थियों द्वारा दी गयी समयावधि में ई0के0वाई0सी0 करा ली जायेगी, वे सभी अग्रिम माह से खाद्यान्न प्राप्त करने हेतु अर्ह होंगे। अन्त्योदय राशन कार्डों पर राशन कार्ड के सापेक्ष खाद्यान्न का वितरण किया जाता है, ऐसी स्थिति में किसी अन्त्योदय राशन कार्ड की किसी भी यूनिट की ई0केवाईसी0 हो चुकी हो, तो ऐसे अन्त्योदय राशन कार्ड के सापेक्ष पूर्ण खाद्यान्न (35 किग्रा0) उपलब्ध कराया जायेगा। साथ ही अन्त्योदय राशन कार्डों में जिनकी ई0के0वाई0सी0 अभी भी नहीं करायी गयी है, उन्हें निर्धारित समयावधि (3 माह) के अन्तर्गत ई0के0वाई0सी0 कराया जाना सुनिश्चित करें। नये राशन कार्ड से सम्बन्धित सभी सदस्यों (यूनिट) को अथवा प्रचलित राशन कार्ड में जोड़ी गयी यूनिट को खाद्यान्न प्राप्त करने से पूर्व ई0के0वाई0सी0 कराया जाना अनिवार्य किया गया है। ऐसी दशा में नये कार्ड एवं नयी यूनिट का विवरण ई-पॉस मशीन में प्रदर्शित होते ही उनमें ई0के0वाई0सी0 कराया जाना सुनिश्चित किया जाना है। शासन/विभाग द्वारा ई0के0वाई0सी0 के सम्बन्ध में दिये गये उपरोक्त निर्देश के अनुपालन में जनपद के समस्त राशन कार्ड लाभार्थियों को सूचित करते हुए अपील है कि 31 अगस्त तक अपने राशन कार्ड के समस्त यूनिट में ई0के0वाई0सी0 कराया जाना सुनिश्चित कर लिया जाय।

सखी वेलफेयर फाउण्डेशन ने मनाया हरतालिका तीज एवं श्री गणेशोत्सव

जौनपुर।

सखी वेलफेयर फाउंडेशन द्वारा हरतालिका तीज एवं श्री गणेश उत्सव कार्यक्रम किया गया जहां सखियों ने गीत, संगीत, नृत्य के साथ हर्षोल्लासपूर्वक श्री गणपति भगवान, देवाधिदेव शिव एवं माता पार्वती की पूजा अर्चना करके धूमधाम से त्यौहार मनाया। इस मौके पर सर्वप्रथम मुख्य अतिथि मीना चौबे प्रदेश मंत्री भाजपा एवं विशिष्ट अतिथि सुषमा पटेल पूर्व विधायक, संस्थाध्यक्ष प्रीति गुप्ता सहित समस्त सखियों ने गणपति भगवान की प्रतिमा के समक्ष दीप प्रज्वलित किया। तत्पश्चात आनन्द मिश्र ने मन्त्रोच्चार से पूजा अर्चना कराकर कार्यक्रम का शुभारंभ कराया।

इस दौरान मुख्य अतिथि ने कहा कि सखी वेलफेयर फाउंडेशन विगत कई वर्षों से नारी सशक्तिकरण की दिशा में अपना योगदान दे रही है। अपने सामाजिक और सांस्कृतिक मूल्यों को संजोते हुये पूरे राष्ट्र को एक सूत्र में पिरोने का प्रयास कर रही है। साथ ही सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्र में

आगे बढ़ रही महिलाओं के उत्थान में पुरुषों के महती योगदान को भी प्रशंसनीय बताया। विशिष्ट अतिथि सुषमा पटेल ने सखी वेलफेयर फाउंडेशन द्वारा नारी सशक्तिकरण हेतु स्वास्थ्य, स्वावलम्बन आदि के क्षेत्र में किये जा रहे कार्यों की प्रशंसा करते हुये कहा कि नारी समाज के विकास के मुख्य धुरी है। इस अवसर पर भगवान श्री गणेश को समर्पित समूह व एकल नृत्य से सखी तूलिका श्रीवास्तव, दीपा साहू, पिंकी जायसवाल, दिव्या साहू, अंजू जायसवाल, स्वर्णिमा जायसवाल, मीनू बरनवाल, संचिता बैंकर, सुजाता जायसवाल, रूपम शुक्ला, श्रद्धा उपाध्याय, वंदना साहू, रेनू गुप्ता आदि ने उपस्थित जनसमूह का मन मोह लिया। अनीता त्रिपाठी एवं सरला त्रिपाठी के समूह ने कजरी एवं भक्ति संगीत से पूरे माहौल को भक्तिमय बना दिया।

इस दौरान पौराणिक प्रश्नों पर शीला राय ने प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम किया जिसमें सभी महिलाओं ने बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया। कार्यक्रम में संस्थाध्यक्ष प्रीति गुप्ता ने फाउंडेशन के संस्थापक पदाधिकारियों तूलिका श्रीवास्तव, स्वर्णिमा जायसवाल, पिंकी जायसवाल, चेतना साहू,

नारी ही करती है समाज एवं सांस्कृतिक मूल्यों की रक्षा- मीना चौबे

सुजाता जायसवाल, तसनीम जैदी, साधना साहू को उनके उल्लेखनीय योगदान के लिये स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया। कार्यक्रम का संचालन महासचिव अर्चना सिंह तथा अभिनन्दन एवं आभार कार्यकारी अध्यक्ष तूलिका श्रीवास्तव ने व्यक्त किया। इस अवसर पर नारायण दास चौरसिया, प्रदीप सिंह, अनिल गुप्ता, दिलीप सिंह, महेश गुप्ता, अंजू पाठक, स्वप्निल सिंह, माधुरी गुप्ता, उर्वशी सिंह, विभा साहू, उमा गुप्ता, सरिता निगम, शकुंतला मौर्य, शशि मिश्रा, प्रतिमा गुप्ता, आरती सिंह, चन्दा बरनवाल, शिप्रा द्विवेदी, सुषमा श्रीवास्तव, अंजू सिंह, किरण सिंह, अंजूलता अग्रहरि, डॉ एकता कनौजिया, रेखा तिवारी, रेखा सिंह, सोना बैंकर, मधुरानी, शकुंतला बैंकर, रेनू बैंकर सहित तमाम लोग उपस्थित रहे।

व्यापारी नेता विवेक सिंह पुन- निर्विरोध चुने गये जिलाध्यक्ष

जौनपुर।

भारतीय उद्योग व्यापार मण्डल जौनपुर की आम सभा बैठक नगर के एक होटल में कोर कमेटी द्वारा हुई जहां बताया गया कि कुछ माह पहले संगठन के जिलाध्यक्ष विवेक सिंह द्वारा सभी कार्यकारिणी को भंग कर दिया गया था। इसी क्रम में लोकतांत्रिक प्रक्रिया का पालन करते हुये पुनः जिलाध्यक्ष के चुनाव हेतु प्रदेश संगठन की सहमति पर एक चयन समिति का गठन हुआ जिसमें विनय बारोतिया, विपिन अग्रवाल, शशांक सिंह, अनिल हरलालका एवं उमेश जायसवाल सदस्य नामित किये गये। आम सभा की बैठक में चयन समिति द्वारा नये जिलाध्यक्ष के लिये सदन से प्रस्ताव मांगा गया। इस दौरान अजीत सोनकर, विमल सिंह ने विवेक सिंह को पुनः जिलाध्यक्ष बनाने का प्रस्ताव रखा

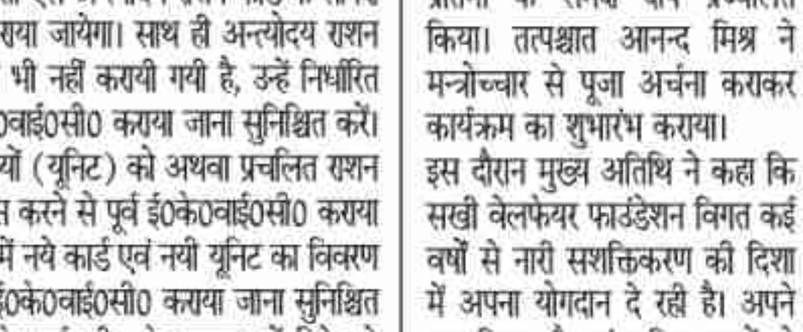

जिस पर क्रमशः राजेन्द्र खत्री, धर्मेन्द्र गुप्ता, महेश सेठ, धीरज गुप्ता सहित सभी सदस्यों ने अपना समर्थन दिया। इसके उपरान्त सदन में उपस्थित सभी व्यापारियों ने एक स्वर में विवेक सिंह को अपना समर्थन देते हुये उन्हें पुनः जिलाध्यक्ष निर्विरोध चुना। चयन समिति के सदस्यों सहित उपस्थित व्यापारियों ने नवचयनित जिलाध्यक्ष विवेक सिंह का माल्यार्पण करके स्वागत किया जहां श्री सिंह ने कहा कि वह संगठन को नई ऊंचाइयों पर ले जाने का हर संभव प्रयास करेंगे और व्यापारियों के मान-सम्मान व समस्याओं के समाधान हेतु सदैव संघर्षरत रहेंगे।

इस दौरान प्रदीप सिंह, सर्वेश जायसवाल, जयकिशन साहू, विमल सिंह, विवेक सेठी, अभिषेक बैंकर, जयसिंह मौर्य सहित अन्य व्यापारियों ने संगठन के प्रति अपने सुझाव रखे। सभा का संचालन योगेश साहू ने

भारतीय उद्योग व्यापार मण्डल की आम सभा में सर्वसम्मति से हुआ निर्णय

किया। इस अवसर पर अजय गुप्ता, अमित जायसवाल, रवि अग्रहरि, मो. दानिश, राघवेन्द्र सिंह, विजय केडिया, अवनीन्द्र तिवारी, धर्मेन्द्र रघुवंशी, अमित वैश्य, मो. सिराज, सुनील जायसवाल, मनोज विश्वकर्मा, विनोद सेतिया, शिवेन्द्र दुबे, दीपक केडिया, रवि गुप्ता, उमंग श्रीवास्तव, प्रवीण शाह, रूप नारायण माली, राजकुमार कश्यप, दिलीप साहू, दीपक केडिया, शेखर सेठ, संतोष साहू, प्यारे लाल मौर्य, राकेश साहू, गौरव केडिया, सनी साहू, गुलाब, अनुज वर्मा, अशोक मौर्य, रोहित साहू, नितेश मौर्य, रितेश साहू, हिमांशु अग्रहरि सहित तमाम व्यापारी उपस्थित रहे।

जौनपुर बास्केटबाल लीग को लेकर एसोसिएशन ने की बैठक

जौनपुर। जिला बास्केटबाल एसोसिएशन की बैठक उमानाथ सिंह बास्केटबाल कोर्ट टीडी कालेज में हुई जिसकी अध्यक्षता सचिव लाल बहादुर पाल सहित संस्था के अन्य सदस्यों ने किया। इस दौरान एसोसिएशन ने बताया कि हर साल दीपावली के बाद जौनपुर बास्केटबाल लीग (जेबीएल) का आयोजन करते हैं जिसमें जौनपुर के स्कूलों की बास्केटबाल टीमों के लड़के और लड़कियां भाग लेते हैं। बैठक में टूर्नामेंट की तिथि 21 से 24 अक्टूबर तक निर्धारित की गई है जो एक चार दिवसीय टूर्नामेंट होगा। इस अवसर पर तमाम सम्बन्धित लोगों की उपस्थिति रही।

अपने ही कानून के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंची महाराष्ट्र सरकार; निमिषा प्रिया मामले से जुड़ी याचिका खारिज

नई दिल्ली । महाराष्ट्र सरकार जुडपी जंगल की करीब 86,409 हेक्टेयर भूमि को वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के दायरे से बाहर करने की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंची है। सरकार ने इस इलाके में हुए अतिक्रमण को भी बिना किसी दंड और क्षतिपूर्ति के नियमित करने की भी मांग की है। सरकारी दस्तावेजों के अनुसार, महाराष्ट्र सरकार की यह मांग उसके ही अपने कानूनी ढांचे के विपरीत है। साथ ही ये मांग सर्वोच्च न्यायालय द्वारा नियुक्त केंद्रीय अधिकार प्राप्त समिति (सीईसी) की सिफारिशों के भी खिलाफ है। जुडपी जंगल, महाराष्ट्र के पूर्वी विदर्भ के नागपुर, वर्धा, भंडारा, गोंदिया, चंद्रपुर और गढ़चिरौली जिलों में सरकारी राजस्व अभिलेखों में जंगल के रूप में दर्ज झाड़ीदार भूमि है। ऐतिहासिक रूप से, इस भूमि को निम्न भूषण के रूप में वर्गीकृत किया गया था, जहां की मिट्टी खराब थी और जहां घने वृक्ष नहीं हो सकते। इस जंगल का उपयोग लंबे समय से मवेशियों की चराई, श्मशान स्थल, खलिहान और स्कूलों, स्वास्थ्य केंद्रों व अन्य ग्रामीण बुनियादी ढांचों के लिए किया जाता रहा है। हालांकि जुडपी के जंगलों का पारिस्थितिक महत्व है। ये जंगलों और कृषि भूमि के बीच संक्रमणकालीन पारिस्थितिकी तंत्र के रूप में कार्य करते हैं। उच्चतम न्यायालय ने अपने ऐतिहासिक दिसंबर 1996 के टी.एन. गोदावर्मन फैसले में कहा था कि सरकारी अभिलेखों में वन के रूप में दर्ज कोई भी भूमि, चाहे उसकी गुणवत्ता या स्वामित्व कुछ भी हो, वन (संरक्षण) अधिनियम के अंतर्गत आएगी। इससे जुडपी के जंगल सख्त वन संरक्षण कानूनों के दायरे में आ गए। इस महीने की शुरुआत में दायर महाराष्ट्र सरकार के हलफनामे में कहा गया है कि अदालत से यह घोषित करने का आग्रह किया है कि वन प्रबंधन के लिए अनुसूचित जुडपी की 86409 हेक्टेयर भूमि वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के दायरे में नहीं आती है और 12 दिसंबर, 1996 के आदेशों के प्रावधानों को भी लागू नहीं करती है।

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को जम्मू-कश्मीर का राज्य का दर्जा बहाल करने की मांग वाली याचिकाओं पर सुनवाई की तारीख आगे बढ़ाने से इनकार कर दिया और कहा कि यह मामला पहले ही 10 अक्टूबर को सूचीबद्ध है। 14 अगस्त को मुख्य न्यायाधीश जस्टिस बीआर गवई की अध्यक्षता वाली पीठ ने केंद्र सरकार से जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा बहाल करने पर आठ हफ्तों में जवाब दाखिल करने को कहा था। एक वकील ने सोमवार को इस मामले पर जल्द सुनवाई करने की मांग की तो सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया और कहा कि यह मामला 10 अक्टूबर को सूचीबद्ध है। साथ ही अदालत ने कहा कि फिलहाल वे संवैधानिक मामले पर सुनवाई कर रहे हैं, जो राष्ट्रपति और राज्यपालों से जुड़े विधेयकों को मंजूरी देने की समयसीमा तय करने से जुड़ा है। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें यमन में मौत की सजा का सामना कर रहीं भारतीय नर्स निमिषा प्रिया के मामले में सार्वजनिक तौर पर असत्यापित बयान देने पर रोक लगाने की मांग की गई थी। जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की पीठ ने याचिकाकर्ता के एल पॉल से कहा कि अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमणी ने आश्वासन दिया है कि इस मामले पर केवल सरकार ही बोलेगी और कोई नहीं।

विपक्ष जेल को सीएम-पीएम हाउस बनाना चाहता है- शाह

राहुल ने संसद में लालू को बचाने वाला अध्यादेश फाड़ा था, सरकार गई तो सुर बदले- अमित शाह

नई दिल्ली।

130वें संविधान संशोधन विधेयक पर विपक्ष के हंगामे के बीच, गृह मंत्री अमित शाह ने सोमवार को कहा कि प्रधानमंत्री ने ही इस प्रस्तावित कानून के अंतर्गत प्रधानमंत्री कार्यालय को लाने पर जोर दिया था। हाल ही में संपन्न संसद के मानसून सत्र के दौरान, शाह ने एक विधेयक पेश किया जिसमें प्रस्ताव दिया गया था कि अगर प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्रियों और मंत्रियों को गंभीर अपराधों के लिए 30 दिनों से ज्यादा की जेल हुई है, तो उन्हें पद से हटाया जा सकता है।

अमित शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री ने खुद इसमें प्रधानमंत्री पद को शामिल किया है... इससे पहले इंदिरा गांधी 39वां संशोधन (राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और लोकसभा अध्यक्ष को भारतीय अदालतों द्वारा न्यायिक समीक्षा से बचाने के लिए) लेकर आईं थीं... नरेंद्र मोदी जी अपने खिलाफ ही एक संवैधानिक संशोधन लाए हैं कि अगर प्रधानमंत्री जेल गए तो उन्हें इस्तीफा देना होगा। उन्होंने आगे कहा कि आज इस देश में एनडीए के मुख्यमंत्रियों की संख्या ज्यादा है। प्रधानमंत्री भी एनडीए से ही हैं। इसलिए यह विधेयक सिर्फ विपक्ष के लिए ही सवाल नहीं उठाता। यह हमारे मुख्यमंत्रियों के लिए भी सवाल उठाता है... इसमें 30 दिनों की जमानत का प्रावधान है। विधेयक पेश किए जाने के दौरान, लोकसभा में विपक्ष ने इस विधेयक को असंवैधानिक करार देते हुए विरोध प्रदर्शन किया और आरोप लगाया कि यह सत्तारूढ़ भाजपा द्वारा केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग करने, गैर-भाजपा मुख्यमंत्रियों को फंसाने, उन्हें जेल में डालने और राज्य सरकारों को अस्थिर करने का एक तरीका है। संविधान (130वां संशोधन) विधेयक, 2025 का हवाला देते हुए, शाह ने पूछा कि क्या ऐसे संवैधानिक पदों पर बैठे व्यक्तियों का जेल से शासन करना उचित है।

सीबीआई-ईडी सरकार के इशारे पर कर रहीं है काम, स्वतंत्रता जरूरी- ओवैसी

नई दिल्ली । एआईएमआईएम सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने संसद में पेश संविधान (130वां संशोधन) बिल 2025 पर कड़ी आपत्ति जताई है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार के अधीन जांच एजेंसियां जैसे सीबीआई और ईडी स्वतंत्र रूप से काम नहीं कर रहीं।

जब तक इनकी नियुक्तियां स्वतंत्र रूप से नहीं होंगी, तब तक इन पर सवाल उठते रहेंगे। ओवैसी ने कहा कि यह समस्या सिर्फ मौजूदा भाजपा सरकार की नहीं, बल्कि यूपीए के दौर में भी रही।

ओवैसी ने कहा कि संविधान में स्पष्ट प्रावधान है कि भारत के राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह पर काम करेंगे। लेकिन प्रस्तावित बिल कहता है कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को हटा सकते हैं। उन्होंने सवाल किया कि यह कैसे संभव होगा? क्या राष्ट्रपति किसी प्रधानमंत्री से इस्तीफा ले सकते हैं? ओवैसी ने इसे संविधान के मूल अनुच्छेद से टकराने वाला कदम बताया। उन्होंने कहा कि इस पर गंभीर चर्चा की जरूरत है क्योंकि यह

संविधान संशोधन बिल पर ओवैसी ने उठाए सवाल

मौलिक व्यवस्था को चुनौती देता है।

जांच एजेंसियों पर गंभीर सवाल

ओवैसी ने कहा कि सीबीआई और ईडी जैसी एजेंसियों का इस्तेमाल राजनीतिक विरोधियों को निशाना बनाने के लिए किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि जब भाजपा नैतिकता की बात करती है तो उसे यह भी कानून बनाना चाहिए कि जो नेता भ्रष्टाचार के आरोप में पकड़े जाएं, उन्हें केंद्र की पार्टी में शामिल न किया जाए। उन्होंने कहा कि असल नैतिकता यही होगी कि कानून सब पर समान रूप से लागू हो। उन्होंने कहा कि जांच एजेंसियों को सरकार से स्वतंत्र करना जरूरी है ताकि जनता का भरोसा बना रहे।

बिहार एसआईआर को लेकर बयान

ओवैसी ने बिहार में चल रहे एसआईआर पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि पूरा अभ्यास चुनाव आयोग द्वारा किया जा रहा है, जबकि चुनाव आयोग को नागरिकता की जांच करने का अधिकार ही नहीं है। यह जिम्मेदारी गृह मंत्रालय की है। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग को उसकी संवैधानिक सीमाओं के भीतर ही रहकर काम करना चाहिए। अन्यथा यह लोकतांत्रिक संस्थाओं की विश्वसनीयता पर सवाल खड़े करेगा।

जेपीसी में शामिल करने की मांग

ओवैसी ने कहा कि उनकी पार्टी स्पीकर से अनुरोध करेगी कि उन्हें संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) में शामिल किया जाए। उन्होंने कहा कि अगर नैतिकता की बात होती है तो फिर इन एजेंसियों को स्वतंत्र क्यों नहीं किया जाता।

उन्होंने दोहराया कि संवैधानिक नैतिकता तभी स्थापित होगी जब सत्ता और जांच एजेंसियों के बीच दूरी बनाई जाए। ओवैसी ने साफ किया कि वह इस मुद्दे पर संसद में लड़ाई जारी रखेंगे और सरकार की दोहरी नीतियों को उजागर करेंगे।

दिल्ली मेट्रो ने आज से बढ़ाया किराया, एक से चार रुपये तक का इजाफा

नई दिल्ली । दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन ने आज सोमवार से मेट्रो के किराए में मामूली सी बढ़ोतरी की है। डीएमआरसी ने अपने आधिकारिक एक्स पर पोस्ट कर यह जानकारी साझा की है। दिल्ली मेट्रो का किराया 25 अगस्त 2025 से संशोधित हो रहा है। एक्स पर दी जानकारी के मुताबिक, किराए में एक रुपए से 4 रुपये तक की बढ़ोतरी हो रही है। वहीं एयरपोर्ट लाइन पर किराए में अधिकतम 5 रुपये तक की वृद्धि हो रही है। बढ़ा हुआ किराया आज से लागू होगा। जानकारी के लिए बता दें कि अभी दिल्ली मेट्रो का न्यूनतम किराया 10 रुपये और अधिकतम किराया 60 रुपये (सोमवार से शनिवार) है, जबकि रविवार और राष्ट्रीय अवकाशों पर अधिकतम किराया 50 रुपये है। मेट्रो कार्ड उपयोगकर्ताओं को 10 फीसदी तक की छूट भी मिलती है।

जेपीसी में भाग नहीं लेगी शिवसेना यूबीटी - संजय राउत

मुंबई । शिवसेना यूबीटी ने सोमवार को घोषणा की कि वह संविधान (130वां संशोधन) विधेयक, 2025 पर संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) में भाग नहीं लेगी। पार्टी सांसद संजय राउत ने यह घोषणा की। इ पर एक सोशल मीडिया पोस्ट में, शिवसेना यूबीटी सांसद ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार ‹लोकतंत्र और निर्वाचित सरकारों को कुचलने› के लिए इस विधेयक को लाद रही है। सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा है कि मोदी सरकार लोकतंत्र और जनता द्वारा चुनी गई सरकार को कुचलने के लिए 130वां संविधान संशोधन ला रही है। इस विधेयक की समीक्षा के लिए गठित जेपीसी महज एक नौटंकी है। शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे स्पष्ट करते हैं कि शिवसेना ऐसी किसी जेपीसी में भाग नहीं लेगी।

आतंकवादियों ने धर्म पूछकर मारा, हमने कर्म देखकर, पहलगाम हमले को लेकर राजनाथ सिंह की पाक को खरी-खरी

नई दिल्ली ।

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सोमवार को कहा कि अप्रैल में पहलगाम में आतंकवादियों ने लोगों के नाम और धर्म पूछकर उनकी हत्या कर दी थी, लेकिन हमारे सैनिकों ने आतंकवादियों को धर्म के आधार पर नहीं बल्कि उनके कर्मों के आधार पर मारा। राजस्थान के जोधपुर में बोलते हुए, वह जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में पर्यटकों पर हुए हमले के बाद भारत की जवाबी कार्रवाई ऑपरेशन सिंदूर के तहत की गई कार्रवाई का जिक्र कर रहे थे, जिसमें 26 लोग मारे गए थे। राजनाथ ने यह भी कहा कि भारत वसुधैव कुटुम्बकम (सारी दुनिया एक परिवार है) की अवधारणा में

विश्वास करता है और जाति या धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं करता। उन्होंने आगे कहा कि ऑपरेशन सिंदूर में हमारी सेना ने पाकिस्तान को करारा जवाब दिया और तय किए गए ठिकानों पर सटीक हमला किया। पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में आतंकवादी समूहों से जुड़े कई ठिकानों पर हमले किए गए। वह एक रक्षा और खेल अकादमी का उद्घाटन करने और सैनिकों के परिवारों को सम्मानित करने के लिए जोधपुर में थे। रक्षा मंत्री ने कहा कि मैं जब भी, हमारे किशोरों और युवाओं से मिलता हूं, और उनकी आँखों में चमक और संकल्प देखता हूं, उससे मुझे खुद भी नई ऊर्जा मिलती है। यही ऊर्जा, हमारे आने वाले भारत की पहचान है। उन्होंने कहा कि हमारे युवाओं की ऊर्जा और उनका संकल्प, हमने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी देखा। जिस प्रकार हमारी सेनाओं ने पाकिस्तान के कायराना हमलों का मुंहतोड़ जवाब दिया, उसे पूरी दुनिया ने देखा। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान,हमारी सेनाओं को सभी सीमावर्ती क्षेत्रों से भी पूरा समर्थन मिला। यह हमें सिखाता है कि देश की सुरक्षा सिर्फ सरकार या सेना की जिम्मेदारी नहीं है, हर नागरिक और हर युवा, अपने कर्तव्यों के प्रति जागरूक और समर्पित रहेंगे,तभी हम हर मुश्किल का सामना कर पाएंगे। राजनाथ ने कहा कि विद्या भारती संस्थान, भारत की शैक्षणिक परम्परा का एक जीता-जागता उदाहरण है। विद्या भारती ने, हमेशा इस बात पर जोर दिया है, कि बच्चों को अच्छा इंसान, अच्छा नागरिक बनाया जाय। उन्होंने कहा कि विद्या भारती के लिए, शिक्षा का मतलब, सिर्फ किताबों और परीक्षाओं तक सीमित नहीं है। बल्कि इसने, जीवन के हर पहलू, चाहे वह शरीर की मजबूती हो, मानसिक संतुलन हो, सोचने की शक्ति हो, संस्कृति का ज्ञान और आध्यात्मिक गहराई, सब पर बराबर ध्यान दिया है।

एसएससी में धांधली! भाजपा की तानाशाही और गुंडागर्दी देखिए, अभ्यर्थियों पर हुए लाठीचार्ज के बाद भड़के केजरीवाल

नई दिल्ली । दिल्ली के रामलीला मैदान में एसएससी छात्र परीक्षाओं में अनियमितताओं, तकनीकी गड़बड़ियों, गलत केंद्रों और प्रशासनिक विफलताओं के खिलाफ अभ्यर्थी प्रदर्शन कर रहे हैं। जहां अभ्यर्थियों पर लाठियां बरसाई गईं। जिसके बाद आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने भाजपा पर निशाना साधा है। आप के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल ने एक्स पर पोस्ट साझा कर लिखा कि भाजपा की तानाशाही और गुंडागर्दी देखिए। एसएससी की परीक्षा की गड़बड़ियों को लेकर ये छात्र महीनों से इंसाफ की लड़ाई लड़ रहे थे। उनकी आवाज सुनने की बजाय रात के अंधेरे में उन पर लाठियां बरसा दी गईं। आगे लिखा कि सोचिए... जिन हाथों में कल किताबें होनी चाहिए

थीं, आज उन पर चोटों के निशान हैं। मीडिया के लोगों को भी खबर कवर करने से रोका गया। देश में खुली गुंडागर्दी चल रही है। भाजपा से सवाल पूछने वालों पर लाठीचार्ज करके उनकी आवाज दबा दी जाती है। किसी को भी उठा के जेल में डाल दिया जाता है, जब चाहे कोई भी कानून बदल दिया जाता है। जो भाजपा को वोट न दे तो उसकी वोट काट दी जाती है। भाजपा ने लोकतंत्र ही नहीं, बल्कि पूरे सिस्टम का मजाक बना कर रख दिया है।

चुनाव विशेषज्ञ संजय कुमार को सुप्रीम राहत

मतदाता सूची से जुड़ी गलत सूचना फैलाने के आरोप में हुई थी एफआईआर

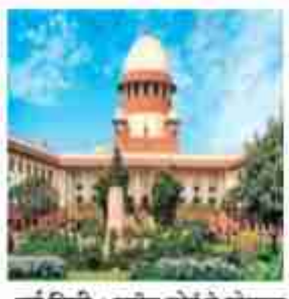

नई दिल्ली । सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को चुनाव विशेषज्ञ संजय कुमार को सोशल मीडिया पर पोस्ट के जरिए महाराष्ट्र की मतदाता सूची से जुड़ी गलत जानकारी फैलाने के आरोप में चुनाव आयोग की ओर से दर्ज कराई गई दो एफआईआर के सिलसिले में गिरफ्तारी से सुरक्षा प्रदान की। मुख्य न्यायाधीश बीआर गवई और न्यायमूर्ति एनवी अंजारिया की पीठ ने वरिष्ठ अधिवक्ता विवेक तन्खा और वकील सुमीर सोढ़ी की इस दलील पर गौर किया कि चुनाव विशेषज्ञ की ओर से सार्वजनिक रूप से माफी मांगने के बावजूद एफआईआर दर्ज की गई है। मुख्य न्यायाधीश ने कहा, नोटिस जारी करें। इस बीच कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जाएगी। सेंटर फॉर द स्टडी ऑफ डेवलपिंग सोसाइटीज (सीएसडीएस) में लोकनीति के सह-निदेशक संजय कुमार ने महाराष्ट्र में अपने खिलाफ दर्ज दो एफआईआर को रद्द करने की मांग करते हुए शीर्ष अदालत का दरवाजा खटखटाया है। एफआईआर में उन पर सोशल मीडि

ड्या प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट के जरिए महाराष्ट्र की मतदाता सूची से जुड़ी गलत जानकारी फैलाने का आरोप लगाया गया है। याचिका में आरोप लगाया गया है कि ये एफआईआर कानून का दुरुपयोग है। यह एक शिक्षाविद को कम से कम एक वास्तविक गलती के लिए परेशान करने का प्रयास है।

पोर्टल किसानों की सुरक्षा की गारंटी, विपक्ष की दुकानदारी जनता ने बंद कर दी- मुख्यमंत्री सैनी

चंडीगढ़।

हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि विपक्ष लगातार पोर्टल को बदनाम करने की कोशिश करता रहा है, जबकि सच्चाई यह है कि आज इसी पोर्टल से किसान सहित आम जनता सुरक्षित है। कल्याणकारी योजनाओं का लाभ अब पोर्टल के माध्यम से सीधे लोगों के घर तक पहुंच रहा है। मुख्यमंत्री आज विधानसभा के मानसून सत्र के दौरान प्रतिक्रिया दे रहे थे। उन्होंने कहा कि पहले लोग मुआवजे के पैसे का इंतजार करते रहते थे, लेकिन यह राशि अक्सर बीच में ही कहीं गायब हो जाती थी। उन्होंने कहा कि विधानसभा चुनाव में विपक्ष ने पोर्टल के खिलाफ दुष्प्रचार किया और सत्ता में आने पर इसे बंद करने की बात कही थी, लेकिन जनता ने चुनाव में उनकी दुकानदारी ही बंद कर दी। मुख्यमंत्री ने बताया कि सरकार ने क्षतिपूर्ति पोर्टल खोला है। जिन गांवों में पानी भरने से फसल खराब हुई है, वहां किसान पोर्टल पर अपने नुकसान की जानकारी दर्ज कर सकते हैं जिसे सम्बंधित विभाग के अधिकारी द्वारा वेरीफाई किया जाता है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में किसानों को फसल खराबे का मात्र 1158 करोड़ रुपये का मुआवजा दिया गया था, जबकि वर्तमान सरकार अब तक 15,500 करोड़ रुपये का मुआवजा किसानों को जारी कर चुकी है। पिछले दिनों ही सरकार ने 78 करोड़ 50 लाख रुपये की मुआवजा राशि किसानों को जारी की है। आज किसानों द्वारा प्रदेश सरकार की योजनाओं का गुणगान किया जा रहा है।

पश्चिम बंगाल एसएससी घोटाला: दीवार कूदकर भाग रहे थे टीएमसी विधायक साहा, गिरफ्तार

नई दिल्ली । पश्चिम बंगाल के एसएससी असिस्टेंट टीचर भर्ती घोटाले में प्रवर्तन निदेशालय ने सोमवार को बड़ी कार्रवाई करते हुए मुर्शिदाबाद जिले की बुरवान विधानसभा सीट से टीएमसी विधायक जीबन कृष्ण साहा को गिरफ्तार कर लिया. गिरफ्तारी उस समय हुई जब ईडी की टीम उनके घर छापेमारी के लिए पहुंची और विधायक ने अचानक पहली मंजिल से कूदकर दीवार फांदकर भागने की कोशिश की. हालांकि, ईडी अधिकारियों ने उन्हें मौके पर ही पकड़ लिया. सूत्रों के मुताबिक, विधायक साहा ने गिरफ्तारी से पहले अपने मोबाइल फोन को पास के ड्रेनेज में फेंककर सबूत मिटाने की कोशिश की, लेकिन ईडी ने फोन बरामद कर लिया है. एजेंसी का मानना है कि इस फोन में भर्ती घोटाले से जुड़े कई अहम सुराग हो सकते हैं.

ईडी अधिकारियों ने बताया कि साहा और उनके करीबियों के ठिकानों पर एक साथ छापेमारी की गई है. एजेंसी को शक है कि भर्ती घोटाले में भारी पैमाने पर मनी लॉन्ड्रिंग हुई है और इससे जुड़े कई वित्तीय लेन-देन के सबूत साहा और उनके सहयोगियों के पास हो सकते हैं. गिरफ्तारी के बाद साहा को पूछताछ के लिए ले जाया गया है. ईडी का कहना है कि इस घोटाले की जांच में और भी बड़े नामों के सामने आने की संभावना है. पिछले दो वर्षों में इस घोटाले में टीएमसी के कई बड़े नेताओं पर शिकंजा कस चुका है. 2022 में शिक्षा मंत्री पार्थ चटर्जी और टीएमसी विधायक माणिक भट्टाचार्य को सीबीआई ने गिरफ्तार किया था. 2023 में टीएमसी युवा नेता कुन्तल घोष और अब जीबन कृष्ण साहा पर कार्रवाई हुई है. इस घोटाले ने न केवल पश्चिम बंगाल की सियासत को हिला दिया है बल्कि टीएमसी की साख पर भी गंभीर सवाल खड़े किए हैं.

अखिलेश यादव का योगी सरकार पर तंज, यूपी में न्यूयॉर्क से ज्यादा शराब की दुकानें हैं

लखनऊ ।

सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि सरकार ने जो स्कूल बंद किए थे वो अब तक शुरू नहीं हुए हैं। सरकार नहीं चाहती है कि लोग पढ़ाई करें।

शराब की दुकानें प्रदेश में बड़ी संख्या में खोली गई हैं। उन्होंने कहा कि यूपी में न्यूयॉर्क से ज्यादा शराब की दुकानें हैं। उन्होंने कहा कि सरकार पीडीए पाठशाला में पढ़ाने वालों के

खिलाफ कार्रवाई कर रही है। पाठशाला वालों के खिलाफ तो अंग्रेजों ने भी अत्याचार नहीं किया। उन्होंने कहा कि भाजपा की डबल इंजन सरकार ने अच्छे दिन लाने का वादा किया था लेकिन उन्होंने पिछड़ों का हक और सम्मान तक छीन लिया। 69000 शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थी आरक्षण के मुद्दे पर प्रदर्शन कर रहे हैं लेकिन उनकी सुनवाई नहीं हो रही है।

पटना में सड़कों पर उतरे किसान किया प्रदर्शन

पटना ।संयुक्त किसान मोर्चा अपनी मांगों को लेकर आज प्रदर्शन कर रहा है। प्रदर्शन का नेतृत्व बक्सर के सांसद और किसान नेता सुधाकर सिंह कर रहे हैं।

इनका कहना है कि ये लोग मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आवास का घेराव करेंगे, लेकिन किसान बुद्ध पार्क से पटना जंक्शन होते हुए प्रदर्शनकारी जैसे ही डाकबंगला चौराहा पहुंचे, इससे पहले ही पुलिस ने उनको रोकने के लिए बैरिकेटिंग लगा दी। प्रदर्शनकारी बैरिकेटिंग को तोड़ते हुए आगे बढ़ने की कोशिश करने लगे, तब

पुलिस को मजबूरन बल का प्रयोग करना पड़ा। फिलहाल प्रदर्शनकारी बैरिकेडिंग तोड़कर आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। पुलिस ने पटना जंक्शन से डाकबंगला की तरफ से आने और उस तरफ जाने के रास्ते को ब्लॉक कर दिया है। फिलहाल डाकबंगला चौराहा पर भारी संख्या में पुलिस की तैनाती की गई है। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि बिहार सरकार जबरन उनकी जमीन का अधिग्रहण कर रही है, लेकिन मुआवजा 2014 की दर पर दिया जा रहा है। उनकी मांग है कि मुआवजा मौजूदा बाजार दर के अनुसार मिलना चाहिए। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि बिहार सरकार उनके साथ अन्याय कर रही है। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि किसानों की जमीन सरकार अधिग्रहण करे लेकिन मुआवजा आज की तारीख के अनुसार भुगतान करे, लेकिन सरकार ऐसा नहीं कर रही है।

सरदार पटेल, बिरसा मुंडा और वाजपेयी की जयंती पर होगा विशेष आयोजन, पीएम मोदी करेंगे समिति की अध्यक्षता

नई दिल्ली ।केंद्र सरकार ने देश के तीन महान नेताओं सरदार वल्लभभाई पटेल, बिरसा मुंडा और पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती मनाने के लिए उच्च स्तरीय समितियों का गठन किया है। इन समितियों की अध्यक्षता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वयं करेंगे। सरदार पटेल और बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती तथा वाजपेयी की जन्म शताब्दी पर राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर विविध कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इन आयोजनों में सांस्कृतिक कार्यक्रम, संगोष्ठियां, प्रदर्शनी और युवा-केन्द्रित गतिविधियां शामिल होंगी। सरकार का कहना है कि इन महापुरुषों के योगदान को नई पीढ़ी तक पहुंचाना और उनके आदर्शों को राष्ट्रीय जीवन में उतारना ही मुख्य उद्देश्य है। समितियों में वरिष्ठ मंत्रियों, राज्यों के प्रतिनिधियों और विशेषज्ञों को भी शामिल किया जाएगा।